GOVERNMENT BILLS

***The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024;**

***The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024;**

&

***The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024**

MR. CHAIRMAN: Shri Nityanand Rai to move a Motion for consideration of the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) तथा जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, ओबीसी के हक के लिए यह विधेयक लाया गया है। पूरे देश में यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज और नगर पालिकाओं के निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं था, इसके लिए यह लाया गया है। इसमें यह भी है कि संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त को दिया जाएगा।

महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा, जैसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा।

---

* Discussed together

महोदय, जब यह विधेयक पारित होकर जम्मू-कश्मीर के नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव हेतु लागू होगा, तो वहाँ ओबीसी को अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही साथ उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त होगा। महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस पर चर्चा करके इसको पारित करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि और जो दो बिल्स हैं, उनका भी मोशन साथ-साथ ही मूव होगा, उसके बाद इन तीनों पर एक साथ डिस्कशन होगा।...(**व्यवधान**)... जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। Now Dr. Virendra Kumar to move the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024 for consideration.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. वीरेंद्र कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

"कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे?

डा. वीरेंद्र कुमारः माननीय उपसभापति जी, जम्मू-कश्मीर में 'बाल्मीकि' समुदाय की लिस्ट में 'वाल्मीकि' नाम जोड़े जाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जब जम्मू-कश्मीर में 1956 में सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई, तो वहाँ पर गंदगी का अंबार लग गया। उस समय पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया कि हमें कुछ सफाई कर्मी दिए जाएँ। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने दिनांक 24.8.2022 के पत्र द्वारा अनुरोध किया कि वर्ष 1957-58 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मंत्री के अनुरोध पर पंजाब सरकार ने अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के हमारे 'वाल्मीकि' समुदाय के 272 परिवारों को जम्मू प्रांत में सफाई कर्मचारियों के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया। उन्होंने अनुसूजित जातियों की सूची में 'वाल्मीकि' समुदाय की क्रम संख्या 5 पर 'बाल्मीकि' के पर्याय के रूप में समावेशन की अनुशंसा की। यह केवल वर्तनी का फर्क है - 'बाल्मीकि' और 'वाल्मीकि', जिसका भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी समर्थन किया। 'वाल्मीकि' समुदाय को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर जी के समता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकारों के ध्येय वाक्य को पूरा करने की दृष्टि से देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा जम्मू-कश्मीर के 'वाल्मीकि' समुदाय के हमारे भाई-बहनों को न्याय दिलाने के लिए यह बिल लाने की जो शुरुआत की गई है, यह बहुत ही सार्थक और सराहनीय कदम शासन के द्वारा उठाया गया है। जम्मू-कश्मीर का 'वाल्मीकि' समुदाय वर्षों से इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ से धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर समानता की बातें की जा रही थीं। हमारी घाटी के कई ऐसे समुदाय हैं, जो धारा 370 हटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ से धारा 370 हटने के बाद जो यह बिल लाया गया है, इससे उन

समुदायों के लोगों को न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा और बाकी लोगों के समान उनको सारी चीज़ों की सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

इसी के साथ, मैं अनुरोध करता हूँ कि सदन इस पर विचार करे और इसको पारित करने में अपना सहयोग दे।

श्री उपसभापतिः अब तीसरा बिल है। Now, Shri Arjun Munda to move a motion for consideration of the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024.

जनजातीय कार्य मंत्री; तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The questions were proposed.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, तीन बिल्स एक ही नेचर के हैं और जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि इन पर एक साथ चार घंटे का डिस्कशन होना है, तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। इन तीनों बिलों पर चार घंटे की बहस है। माननीय राजमणि पटेल जी, अब आप बोलें।

श्री राजमणि पटेल(मध्य प्रदेश) : सर, हमारा चार घंटे का समय है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपका नहीं, आपकी पार्टी का 15 मिनट समय है। इन तीनों बिलों पर कुल चार घंटे की बहस है, जिसमें से आपकी पार्टी को 15 मिनट का समय है।

श्री राजमणि पटेलः माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन में जो 'जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024' लाया गया है, निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए और यह स्वागत-योग्य है। अगर इसके साथ इस बात का भी उल्लेख होता कि महिलाओं के साथ-साथ ओबीसी का कितना प्रतिशत आरक्षण होगा तो और अधिक अच्छा होता।

माननीय उपसभापति महोदय, सरकार द्वारा संशोधन तो लाए जाते हैं, कानून बनाने की बात की जाती है और घोषणाएँ भी होती हैं, लेकिन ओबीसी और महिलाओं के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब नीयत ठीक नहीं हो तो सारे कायदे-कानून, सारी घोषणाएँ बे-अर्थ हो जाती हैं। महोदय, किसी ने कहा था:

"लहर-लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो,
कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो,

कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश,
यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो।"

माननीय उपसभापति महोदय, केवल कानून बना देने और घोषणाएँ कर देने से ही ओबीसी, एससी-एसटी और महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। अगर यही तत्परता थी, तो अब तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार वह नहीं करा सकी।

महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटीज़, आईआईएम्स तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षों से करोड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, जिनको काफी समय से भरा नहीं जा रहा है और हमारे ओबीसी तथा एससी-एसटी के युवा बेरोज़गार ओवरएज हो रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इससे सरकार की नीयत जाहिर होती है। जिन युवाओं ने कर्जा लेकर पढ़ाई की, वे ओवरएज होने की स्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं। महोदय, आज इस तरह की व्यवस्था इस देश में हो रही है। इन संस्थानों में ओबीसी की भागीदारी नगण्य है और उस भागीदारी को भरने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। भर्ती नियमों में रोस्टर बदल दिया गया है, जिसके कारण ओबीसी और एससी-एसटी के हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको मेरिट के आधार पर जो स्थान मिलना चाहिए और उनका चयन हो जाना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। आज यहाँ यह हो रहा है। महोदय, जातीय गणना एक आवश्यक विषय है।

महोदय, जब भी कोई प्रस्ताव या योजना आती है, तब विभाग द्वारा मांगा जाता है कि इनकी जनसंख्या क्या है। जनसंख्या के सही आंकड़े न मिल पाने के कारण जिन योजनाओं का लाभ हमारे ओबीसी, एससी/एसटी के छात्रों को मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। यह बहुत ज़रूरी है, जिसको सरकार कराना उचित नहीं समझ रही है। पिछड़े वर्गों की दुहाई दी जाती है, पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन गणना नहीं कराई जा रही है, जबकि इस देश में कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों तक की गणना होती है, लेकिन ओबीसी के लोगों की गणना नहीं हो रही, यह निश्चित रूप से खेद का विषय है। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, जब पिछड़ों की बात आती है, तब हमारे माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि हमने इतने पिछड़ों को मंत्री बना दिया, हमने मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री बना दिया, इससे कल्याण हो गया, लेकिन मुख्य मंत्री और मंत्रियों की संख्या बता कर किस तरह से पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है, वह सोचने का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, पिछड़ों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मंत्रियों और मुख्य मंत्री के हाथ बांध दिए जाते हैं कि आपको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपकी संख्या के आधार पर हम देश के पिछड़ों को गुमराह करते रहेंगे, इस तरह का प्रयास हो रहा है।

महोदय, जब भी ओबीसी की बात आती है, तब सरकार द्वारा बड़े ज़ोरदार शब्दों से यह कहा जाता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। उन्हें प्रधान मंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। हमने सरदार पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू बना दिया, लेकिन उसके पीछे नीयत को समझने की आवश्यकता है। इनकी जो नीयत है, इनकी असली कार्यवाही है कि मूर्तियां बना दो, मूर्ति में माला और विचारधारा पर ताला! मूर्ति बना

दो, लेकिन इस देश के प्रति, आज़ादी के प्रति, इस देश को बनाने के प्रति सरदार वल्लभभाई पटेल का विचार क्या था, उस विचारधारा पर ताला लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम उनके हमदर्द हैं। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सरदार वल्लभभाई पटेल से आपको हमदर्दी थी, आप उनके विचारों को मानते हैं...

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिए।

श्री राजमणि पटेलः महोदय, ओबीसी के विषय पर ही बोल रहे हैं। ओबीसी का किस तरह से शोषण किया जाता है, मैं वही कह रहा हूं। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जिस समय सरदार वल्लभभाई पटेल इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दे रहे थे, उस समय सरदार पटेल का सम्मान करने वाले ये लोग कहां थे? अगर सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ होते, तो मैं मानता कि सरदार वल्लभभाई पटेल और उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन तब तो उनकी * और आज अब सरदार पटेल के नाम पर इस देश के ओबीसी को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है।

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य, आपकी सूचना के लिए बता हूं कि Jammu and Kashmir Local Bodies Laws पर तीनों बिल हैं, कृपया, आप उस पर concentrate करें।

श्री राजमणि पटेलः महोदय, मैं उसी से जुड़ी अहमियत से यह कहना चाहता हूं कि चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, महिलाओं के आरक्षण में भी यही किया गया। घोषणा हो गई, लेकिन कब लागू होगा, इसका कुछ पता ही नहीं है। यहां भी घोषणाएं की गईं, लेकिन कब लागू होगा, यह पता ही नहीं है। मैं इन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, सरकार को कोई लेना-देना नहीं है कि पिछड़ों/ओबीसी का दर्द क्या है! केवल बातों में और भाषणों में पिछड़े वर्ग के हिमायती बनना चाहते हैं, यह इस देश का पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये क्या जानें - किसी शायर ने कहा था -

"मोर के मन का नशा बादल न जाने,
और आंख की अंतरदशा काजल न जाने।
मुग्ध है अपनी मधुर झनकार में है,
पांव है कितना कसा, पायल न जाने।।"

यह सरकार केवल बातें करती है। पिछड़े वर्गों का कहां हक-अधिकार दबाया जा रहा है, कहां उनका शोषण हो रहा है, इससे उनको कुछ लेना-देना नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो अच्छी नीयत के साथ कोई विधेयक लाइए, अच्छी नीयत के साथ कोई घोषणा कीजिए, जिससे इस देश के एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग का भला हो

* Expunged as ordered by the Chair.

सके, तभी आपकी घोषणाओं का कोई अर्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः डा. कल्पना सैनी। आपकी पार्टी के लिए कुल 13 मिनट का समय है।

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड)**:** आदरणीय उपसभापति जी, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे दि जम्मू एण्ड कश्मीर लोकल बॉडीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 व 35ए को हटा कर उसको मुख्यधारा में लाकर विकास की राह पर अग्रसर किया।

मैं स्पष्ट रूप से प्रसन्नता व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़े वर्ग की अन्तर्वेदना की गंभीरता पर गहन चिंतन, मनन के उपरांत सशक्त निर्णय लेकर संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर 75 वर्षों से स्वतंत्र भारत में भी अपने अधिकारों से वंचना की जंजीरों से जकड़े अन्य पिछड़े वर्ग को मुक्त किया है।

महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने निकाय में संशोधन बिल प्रस्तुत कर 'सबका साथ, सबका विकास' कहा ही नहीं है, बल्कि कर दिखाया है। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के संशोधन में धारा 2 का संशोधन और धारा 2क का प्रतिस्थापन तथा कतिपय पदों के प्रति निर्देश का नियम, अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन, धारा 4 का संशोधन, धारा 27 का संशोधन, धारा 36क का संशोधन, धारा 36ख का प्रतिस्थापन, धारा 36घ का संशोधन, धारा 39 का संशोधन तथा धारा 45क का संशोधन एवं जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 के संशोधन में कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन, धारा 2 का संशोधन, 2004 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 14, जिसके अंतर्गत धारा 11क का संशोधन, धारा 282 का संशोधन, नई धारा 282क का अंतःस्थापन, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 कतिपय उपबंधों का लागू होना। जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 का संशोधन, कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन, धारा 2 का संशोधन, नई धारा 9क का अवस्थापन, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 के कतिपय उपबंधों का लागू होना, नई धारा 10क का संशोधन। यही नहीं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग को बहुत सम्मान दिया है और सम्मान ही नहीं, उन्हें विकास की राह की तरफ आगे बढ़ाया है। मैं अपने सांसद भाई को यह बताना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर, उसे शक्तिशाली बना कर इस वर्ग को संरक्षण दिया, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब, किसान, युवा व महिला आज अपने अधिकारों का पूर्णतया प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है। यही कारण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अपने प्रधान मंत्री जी के प्रति अमिट विश्वास व कृतज्ञता का भाव रखता है। इसकी मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं।

आदरणीय सभापति जी, मैं राज्य सभा में आने से पूर्व उत्तराखंड राज्य के ओबीसी आयोग की अध्यक्ष थी। आज भारत अपने आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर अमिट विश्वास रखता है। मैं चंद स्वरचित पंक्तियां इसके लिए व्यक्त करती हूं।

"कठिन पथरीली राह है मेरी, भारत माता रोती थी
समय की दूरी बढ़ती जाती, भयभीत सारी जनता थी
देवदूत सा अवतरित हो आया भारत मां का लाल
कंकड़ पत्थर सब चुन दूंगा, 56 सीना उन्नत भाल
हर जन का विश्वास बना है, भारत मां सपने बुनती है
इसीलिए तो देश की जनता मोदी जी को ही चुनती है। "

महोदय, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपसभापतिः श्री मोहम्मद नदीमुल हक। आपको 6 मिनट बोलना है।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, thank you for allowing me to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

श्री उपसभापतिः माननीय नदीमुल जी, तीन बिल्स हैं, आपको तीनों बिल्स पर एक साथ बोलना है। There are three Bills.

श्री मोहम्मद नदीमुल हकः हां, 6 मिनट मैं बोलूंगा और 6 मिनट जवाहर सरकार जी बोलेंगे।

'आसान नहीं है मुझे पढ़ लेना,
लफ़्ज़ों की नहीं जज़्बातों की किताब हूं मैं।'

[†]**جناب محمد ندیم الحق** : ہاں، چھ منٹ میں بولوں گا اور چھ منٹ جواہر سرکار جی بولیں گے۔

آسان نہیں ہے مجھے پڑھ لینا
لفظوں کی نہیں جذباتوں کی کتاب ہوں میں۔

Sir, I would like to remind this House of the Hon. Prime Minister's words in 2016. He said and I quote, "I want to bring back those days when the rest of India used to look forward to come and visit Kashmir. Kashmir has suffered a lot over the years. Generations have seen their dreams being crushed." But since then, more people are suffering today and having their dreams crushed under this draconian regime. The Government appears to have perfected the art of projecting an illusion of normalcy while a tempest of unrest raises through the valleys of Kashmir.

'तुमने समझा ही नहीं, आंख में ठहरे हुए दुख को,
तुम भी हंसती हुई तस्वीर पर मर जाते हो।'

[†] Transliteration in Urdu script.

†تم نے سمجھا ہی نہیں، آنکھ میں ٹھہرے ہوئے دکھ کو،
تم بھی ہنستی ہوئی تصویر پر مرجاتے ہو۔

Sir, I ask, if normalcy has been restored, why did the Government find it necessary to subject prominent opposition leaders of J&K to a twelve hour house arrest to bulldoze legislative measures? The Government stripped Kashmir of this statehood in 2019. The Supplementary List of Business on the J&K Reorganisation Bill, 2019 was discussed and passed on the very same day. In the last winter Session, the J&K Reorganisation (Amendment) Bill was introduced and passed in less than half a day.

'लोग अपने लम्हों को संवारने की खातिर,
दूसरों की जिंदगियों को बरबाद कर जाते हैं।'

†لوگ اپنے لمحوں کو سنوارنے کی خاطر
دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرجاتے ہیں۔

Sir, if normalcy has been restored, why is the Union Government resorting to electoral gerrymandering in J&K where you manipulate the boundaries of an electoral constituency with the intent of creating undue advantage for one party? The revised electoral rolls have added 2.5 million voters who are non-locals. I ask again, if normalcy has been restored, why is it that the last elections to the J&K Assembly were held ten years ago. The elections have been conducted in Kashmir previously under insecure conditions as well. Governments under Prime Minister, Narasimha Rao and Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee held Assembly elections when deaths due to armed conflict were at their height in the State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nadimul Haque*ji*, I will again remind the subject. It is Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Yes, Sir. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, please speak on that Bill.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: It has now become evident that the Government's us *versus others* agenda has failed to win the hearts of Kashmiris.

† Transliteration in Urdu script.

'हां ठीक है हर शख्स बद्दुआ नहीं देता,
मगर देखो हमेशा दिल दुखाया नहीं करते।'

†ہاں ٹھیک ہے ہر شخص بد دعا نہیں دیتا،
مگر دیکھو ہمیشہ دل دکھایا نہیں کرتے۔

In reply to a parliamentary question in 2020, the Government admitted to not having assessed the loss to the tourism industry since 2019, neither was any information on revenue generation maintained. According to the Kashmir Chamber of Commerce and Industry, Jammu and Kashmir incurred economic losses exceeding Rs.40,000 crores. Sir, on 7th February, 2024, a non-local man was killed by terrorists in Srinagar. This is the second terrorist attack of the year. In November, 2023, five soldiers were martyred in Rajori.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again, I remind you, as per Rules and Procedure, we have to discuss the Bill. Please be on the subject.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Yes, Sir. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be on the subject. We are not discussing law and order; we are discussing this Amendment Bill. Please confine yourself to that.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, since 2019, Kashmir has seen month-long internet blackout and hour-long power outrages that have disrupted the lives of millions. Students, patients, small business owners, handicraft artisans have suffered. In Kashmir, newspapers have been forced to discontinue operations. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः मोहम्मद नदीमुल हक जी, आप law and order पर काफी बोल चुके हैं, subject पर भी बोलिए, as per Rules and Procedures.

श्री मोहम्मद नदीमुल हकः सर, मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं।

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، میں سبجیکٹ پر ہی بول رہا ہوں۔

† Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the subject. Subject is, 'Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill'.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, Kashmir is the subject. I am talking about Kashmir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kashmir is a different subject. This is a particular Amendment. Please speak on the subject.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, तो मैं कश्मीर पर ही बोल रहा हूं।

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، امینڈمینٹ بل لارہے ہیں، تو میں کشمیر پر ہی بول رہا ہوں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again, I request you to speak on the subject.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, मैं कश्मीर पर ही बोल रहा हूं।

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، میں کشمیر پر ہی بول رہا ہوں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are a very senior Member. You know the Rules and Procedure.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, जे. एंड के. लोकल बॉडीज़ पर जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, वहाँ दस सालों से तो इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। उस पर क्या नहीं बोलें? हमें तो कश्मीर की हालत पर ही बोलना होगा।

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، جے اینڈ کے لوکل باڈیز پر جو امینڈمینٹ بل لا رہے ہیں، وہاں دس سالوں سے تو الیکشن بھی نہیں ہوے ہیں۔ اس پر کیا نہیں بولیں؟ ہمیں تو کشمیر کی حالت پر ہی بولنا ہوگا۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. ...*(Interruptions)*... Continue please. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : सर, मैं कश्मीर की हालत पर ही बोल रहा हूं।

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، تو میں کشمیر کی حالت پر ہی بول رہا ہوں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, conclude. ...*(Interruptions)*... Your time to speak is going to be over.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि,

† Transliteration in Urdu script.

'मातम कीजिए, हमारी बेबसी पर, चाहकर भी राब्ता नहीं कर सकते।'

†**جناب محمد ندیم الحق**: سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ؎

ماتم کیجئے، ہماری بے بسی پر، چاہ کر بھی رابطہ نہیں کرسکتے۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, it is said that the first step in liquidating the people is to erase its memory, destroy its book, its culture, its history. Reference to the fact, that the J&K accession to India was based on the condition that the State would remain autonomous, has been deleted from NCERT text books. It needs to be rectified. Sir, in the end, मैं खत्म कर रहा हूं। ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Overall, your time is over. ...*(Interruptions)*... You have not spoken on the subject. ...*(Interruptions)*... Please. Now, Mr. R. Girirajan. You will speak in Tamil. You have nine minutes to speak.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, this Bill provides for reservation for Other Backward Classes (OBCs) under the three Acts. Seats in certain institutions in Jammu and Kashmir are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The institutions are panchayats, municipalities, municipal corporations, block development councils and other district development councils. The reserved seats are proportional to the population of these groups in the area covered by the respective institutions. One-third of such seats are reserved for women. The Bill extends reservation to OBC as well. OBCs are groups notified as weak and underprivileged by the Government of the Union, now Jammu and Kashmir. There are several thousand such incidents that happened, but not being reported or registered, shows the dark and ugly side of the society we are in. Sir, whatever done so far in Kashmir has two sides. Today, the Government proclaims that they have restored peace in Kashmir. After the abrogation of Article 370, I would like to know from the Hon. Home Minister as to how many military or defence personnel are deployed in Kashmir? But, the majority Muslim population of Kashmir apprehends that the real intention of the Government is to somehow change the demographic character to suit their tension for winning elections. So, whether the Hindu or Muslim or Christian or Sikh or Parsi or any other religious seat, they are all the Indians first. And, I would urge the Union Government to take all necessary steps to facilitate the State Election Commission, conduct fair and free elections in Kashmir and Jammu Valley. And, also

† Transliteration in Urdu script.

elections to the Assembly and Lok Sabha seats are coming. Sir, my piece of advice to the Union Government is, please do not take the country back to the days of Manu and play with the life of SC, ST, OBC and the minority people of this country. On the one side, you preach *Sanatan Dharma,* but, you practice *Adharma* which is detrimental to the future of our country, India. Do not be afraid of the name 'INDIA'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject, Girirajan*ji*, speak on the subject.

SHRI R. GIRIRAJAN: I will come, Sir. Another point is providing SC, ST status to communities is important. But what is more important is to protect and promote their education, employment and economic status. This is where the Union Government has failed miserably. Sir, Tamil Nadu has reached its milestone way back in 2020. This was possible because of one great man, Thanthai Periyar. He propounded the Dravadian Code and propelled the people of Tamil Nadu with equality, social justice and brotherhood.* "Social justice, equality and Justice for all are our ways of life, as taught by our *Thanthai Periyaar*. The lovely command of our leader *Aringar Anna* is, "Duty, Dignity and Discipline". "Studies, culture and meaningful life" is the eternal doctrine taught by our leader *Muthamil Aringar* (Scholar of 3 branches of Tamil) *Kalaingar."*

Sir, our Hon. Chief Minister, Thalapathy M. K. Stalin is spearheading the vision and mission of improving Tamil Nadu, the number one State in the country in every parameter of growth. His visionary Mission of "Naan Muthalvan" Scheme will revolutionize the social pyramid and catapult the SC, ST, OBC and the Minorities to reach high pedestal in their life. I wish Government of India to take a leaf out of the social transformations happening in Tamil Nadu. Then only the country will prosper. The drop-out of students belonging to SC, ST, OBCs from IITs, IIMs, NITs and the Central Universities and the students committing suicides are on the rise in the last ten years. It is shocking to know that maximum number of dropouts occur among students belonging to the SC, ST, OBC and Minority communities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. R. Girirajan, please speak on these Bills.

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, all the Bills have been clubbed; that is why; I am talking about the reservation as well as the election issues.

---

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

Sir, I urge the Government to take necessary steps to curtail the dropouts of SC, ST, OBC students from premier institutions and conduct appropriate counselling of students from poor and deprived communities to combat peer pressures to stop suicides in these institutions. Sir, the atrocities against the SC, ST and oppressed people are on the rise. As per the report of the National Crime Records Bureau (NCRB), Ministry of Home Affairs, more than five lakh atrocity cases been registered in the last ten years, under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. On an average, more than 50,000 cases were registered under this law. It is really unfortunate to see a country which proclaims as the third largest economy in the world, also faces such social stigma and shame. The attack and atrocities against the SC, STs and oppressed communities are on the rise since 2014. Therefore, there is need for a comprehensive law to provide socio-economic and political safety to the people belonging to the SC, ST as well as from other vulnerable communities.

Before I conclude, Sir, my piece of advice to the Union Government is, please do not take the country back to the days of Manu and play with the life of SC, ST, OBC and the Minority people of this country. On one side, you preach *sanatana dharma,* but, you practice a*dharma* which is detrimental to the future of our country, India. Do not be afraid of the name 'INDIA'. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, आपकी सुविधा के लिए पुनः I would like to inform कि हम अभी तीन बिलों पर चर्चा कर रहे हैं – The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024, The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024 and The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024.

My request will be, as per rules and procedures, please speak on the subject. Please speak on the subject. These are the three Bills we are discussing. In the beginning, Hon. Chairman informed you about it. I am also telling regarding this all the time. But don't deviate from the rules, please. My request will be, please don't deviate from the rules.

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे जम्मू कश्मीर से संबंधित इन तीन बिलों पर बोलने का अवसर दिया - दि जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024, दि कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शैड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024 और दि कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024.

सर, मैं जम्मू-कश्मीर के बदलते हुए हालात के बारे में एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा -

"हमारी एक पीढ़ी ने जम्मू और कश्मीर को
अलगाववाद की आग में झुलसते देखा है,
आंतकवाद की तेग में तड़पते देखा है,
और सांप्रदायिक अतिवाद के तूफान से लड़ते देखा है,
लेकिन अब दौर आ गया है अलगाववाद की जगह राष्ट्रवाद का,
आतंकवाद और अतिवाद की जगह लोकतांत्रिक संवाद का,
एक दौर था जब युवाओं के चेहरों पर नकाब और हाथों में पत्थर था,
पर अब उन्हीं युवाओं हाथों में काबिलियत की डिग्री और
आंखों में सफलता की आशा है।
एक दौर था जब कश्मीर की महिलाएं और बच्चे
आतंक के साये में अपनी उम्मीदों को झोंक देते थे,
लेकिन अब उन्हीं उम्मीदों को अवसरों के पंख लगाकर नई गति दे दी है।"

सर, यह पूरी भारत सरकार और इस सदन किया है। यह बिल हमारी लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू शैड्यूल्ड कास्ट्स की कुछ कास्ट्स को आरक्षण देने की बात कर रहा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कुछ कास्ट्स को आरक्षण देने की बात कर रहा है, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। इससे समाज के पिछड़े वर्ग को वे अधिकार प्राप्त होंगे, जिसके लिए वे अभी तक वंचित थे। सर, इस बिल में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी। बिल में कहा गया है कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। यह डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का एक अच्छा स्टेप है और बहुत सराहनीय है, जिसमें राजा राज्य चुनाव आयुक्त होगा। मैं भारत सरकार की इस पहल के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा।

सर, सरकार ने जब धारा 370 हटाने का निर्णय लिया, तब हमारी आम आदमी पार्टी ने उसका पुरजोर समर्थन किया था और उसके पक्ष में मतदान किया, क्योंकि हमारी पार्टी को इस बात का संज्ञान था कि इन सबसे शैक्षणिक सुधार आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल विकास होगा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और समाज कल्याण के भी बहुत से मुद्दे हैं, जिनका लाभ वहां के लोगों, पिछड़े समाज और अन्य समाज को मिल पाएगा। सर, हमें खुशी है और पूरे देश को खुशी है कि इन सब कदमों से वहां की हिंसक घटनाएं, जो कि एक पैरामीटर होती हैं, उनमें कमी हुई है। 2004 से 2014 के बीच कुल 7,217 घटनाएं हुईं, लेकिन 2014 से 2024 में ये कम होकर 2,224 रह गई हैं, यानी 69 प्रतिशत कम हो गईं, इसके लिए पूरा भारत बधाई का पात्र है। सर, वहाँ बहुत अच्छा माहौल बना और उसी अच्छे माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जी20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, उसके लिए भी पूरा सदन बधाई का पात्र है। जम्मू-कश्मीर आगे बढ़े, इसमें टूरिज्म एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। हमें खुशी है कि वहाँ 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुँचे हैं, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को पैसा मिल रहा है

और शैड्यूल्ड कास्ट्स को, छोटे तबकों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के और अवसर पैदा हो रहे हैं। वहाँ का जीडीपी भी 8 प्रतिशत पर ग्रो कर रहा है। इसके लिए भी हमें सराहना करनी चाहिए।

सर, ये कुछ अच्छे कदम हैं, जो वहाँ की सरकार ने लिए, भारत सरकार ने लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी बातों पर इस सदन का और सरकार का संज्ञान चाहूँगा। वहाँ पर कैपिटा इनकम 1,70,000 है, जो कि हमारे देश की नेशनल एवरेज 1,97,000 से कम है। वहाँ इन्फ्लेशन भी 6.9 परसेंट है, जो भारत के एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 42 सेक्टर्स में 85 हजार करोड़ का निवेश लाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 414 यूनिट्स आई हैं, जिनमें सिर्फ 2,500 करोड़ का निवेश आया है। जम्मू-कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे और इसका संज्ञान ले।

सर, जम्मू-कश्मीर में नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ हाइडल पावर का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन 2023 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक 1,725 मेगावॉट के 374 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में भी 4 साल से 7 साल की देरी हुई है, जिससे एक तरफ प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ जाती है और दूसरी तरफ, एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वह हम लूज़ कर जाते हैं।

सर, इस बिल के माध्यम से हम वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में और बाकी सब में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा ओबीसी है, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इसके बारे में विचार करे।

सर, मैं इन तीनों बिलों का समर्थन करते हुए अपनी बात जम्मू-कश्मीर के बारे में इन छोटी सी पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगा,

"पहाड़ों के जिस्मों में बर्फों की चादर,
चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर,
हसीं वादियों में महकती है केसर,
कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर,
है कश्मीर धरती के जन्नत का मंजर।"

धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, डा. अशोक कुमार मित्तल जी। अब डा. सस्मित पात्रा जी। You have eight minutes.

डा. सस्मित पात्रा (ओडिशा)**:** मान्यवर, बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद ऐसा समय और मौका मिला है। आपने बहुत अहम बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मान्यवर, हमारे सामने तीन अहम बिल हैं, जो साथ ही में लिए जा रहे हैं।

पहला है - The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023. The Bill seeks to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 1956, जिसके तहत कई ऐसी अहम कास्ट्स हैं, deemed to be as Scheduled Castes, उनको इस कानून के माध्यम से अपना हक मिलेगा and I think it is a very good step going forward. अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से और हमारे नेता, माननीय मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम इन तीनों बिलों का पुरजोर समर्थन करते हैं। We welcome the Bills. We support the Bills and we thank the Government for bringing these very important Bills for Jammu and Kashmir.

दूसरा बिल है - The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024. It seeks to provide reservation to OBCs in the local bodies and bring consistency in the laws with the provisions of the Constitution. इसके साथ, the Bill seeks to amend certain provisions of the J&K Panchayati Raj Act, Municipal Act, Corporation Act with the consonance of Provisions Part 9 and Part 9A of the Constitution. यह हमारे ओबीसी भाई-बहनों के लिए, उनके हक के लिए जम्मू-कश्मीर में बहुत जरूरी था। मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वह यह बिल लाई है।

महोदय, तीसरा बिल है - The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024. It proposes to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, to create a separate list for STs for UTs of J&K and Ladakh. ये तीनों ही बिल्स बहुत अहम हैं। हमारे माननीय सांसदगण ने कई विषयों पर चर्चा भी की। मान्यवर, मैं इन तीनों विषयों पर चर्चा करते हुए, तीनों विषयों का समर्थन करते हुए, सरकार की सराहना करते हुए और मेरी पार्टी बीजू जनता दल तथा मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी का पुरज़ोर समर्थन देते हुए एक विषय की ओर आपकी दृष्टि आकर्षित करना चाहूँगा, जिसको शायद इस डिस्कशन में आने की आवश्यकता है।

कुछ साथियों ने आर्टिकल 370 के बारे में कहा। मैं आर्टिकल 370 के बारे में एक सकारात्मक सोच देना चाहता हूँ, but not from a political perspective, एक राजनैतिक सोच से नहीं, लेकिन आर्टिकल के 370 हटने के बाद या उसके हटने से क्या अच्छाई हुई है, मगर from the eyes of jurisprudence through Parliament. So, I wanted to use the lens of jurisprudence to be able to appreciate what has been done for abrogation of Article 370. मान्यवर, हमने 2019 में पार्लियामेंट में Article 370 का abrogation पारित किया। फिर मामला कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मान्यवर, वहाँ पाँच जजेज़ की बेंच बैठती है, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद एक बहुत अहम विषय आता है। कई बार हम ज्युडिशियरी पर टीका-टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने NJAC को strike-down कर दिया, उन्होंने फलां बिल को strike-down कर दिया, लेकिन यह सराहना का विषय है कि पार्लियामेंट से पारित आर्टिकल 370 abrogation को सुप्रीम कोर्ट ने upheld किया। उसको अलाऊ किया और कहा कि पार्लियामेंट ने जो कहा था, वह सही था। It is a very good thing. जब 11 दिसम्बर, 2023 को यह जजमेंट आया, तो जितना समर्थन, जितनी सोच, as a Parliament, हमें सपोर्ट करना चाहिए था, शायद उतना पुरज़ोर सपोर्ट हमने नहीं किया है। इसलिए इस मंच पर इस विषय को मैं रखना

चाहता हूँ, for the judiciary, that आपने आर्टिकल 370 पर जो अपना जजमेंट पास किया था, जिसकी वजह से आज कश्मीर में एक बदलाव का दौर आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आ रहा है, एक अच्छाई का दौर आ रहा है, इसलिए सराहना करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरे पास साढ़े तीन-चार मिनट और हैं। मैं उतने समय में अपनी बात रखूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, on behalf of himself, Justice B.R. Gavai and Justice Suryakant, 456 पेजेज़ के जजमेंट में से 352 पेजेज़ खुद लिखे। He himself wrote it. Apart from that, जस्टिस एस.के. कॉल साहब ने 121 पेजेज़ लिखे और जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने a concurring judgment के 3 पेजेज़ लिखे। They all believed, unanimously. जनरली कभी एक dissenting note आ जाता है कि 'नहीं', 'शायद', 'शायद नहीं', लेकिन यह एक बड़ा अच्छा विषय है कि आर्टिकल 370 abrogation को जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पॉजिटिविटी के साथ लिया, it shows that we should be appreciative. And, I am sure, the Government is very appreciative, लेकिन कई बार as a Parliament, we need to speak more. तो उस जजमेंट से, उस ज्युरिस्प्रुडेंस से क्या निकलता है? It upheld that Jammu and Kashmir did not retain its sovereignty, Article 370 is a temporary provision, constitutional validity of proclamation under President's Rule, Parliament enjoys both law-making and non-law-making powers of the State Legislature under President's Rule and the Constitution of J&K stands inoperative after the Constitution of India came through.

मान्यवर, कई बार जब पार्लियामेंट में जम्मू-कश्मीर का विषय आता है, तो कई बार जो आलोचनाएँ होती हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब एक स्पेसिफिक जजमेंट आ चुका है, 400-500 पेजेज़ का एक जजमेंट आ चुका है, उसके बाद हमें इस शंका में नहीं रहना चाहिए कि यह सही हुआ या गलत हुआ। यह सही हुआ है और इसे हमें accept करना पड़ेगा और उसको आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा।

मान्यवर, उसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई विषय आता है, तो सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। लेकिन दुख का विषय यह है कि जब पाँच जजेज़ की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना जजमेंट दिया, उसको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं था।

2.00 P.M.

कुछ लोग थे, जिन्होंने टीका-टिप्पणी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा, 'It is, in my view, an incorrect appreciation of the Constitution, which I did not expect'. एक Eminent Jurist ने कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, because he is not a Member of this House. एक और जुरिस्ट ने कहा that the Supreme Court has erred and cannot be proud of its Kashmir Judgement. किसी और Eminent Jurist ने कहा, 'It is very disturbing and impacts federalism'.

मान्यवर, मुझे कई बार ऐसा लगता है that sometimes it seems that Judiciary से हम accountability accept करते हैं कि हमने जो लॉज़ पास किए हैं, उनके संबंध में अगर वहाँ कोई अपील होती है, तो वे पार्लियामेंट की sovereignty और legacy को प्रोटेक्ट करें, वे हमारे डिसीज़न को प्रोटेक्ट करें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच और उनके जजमेंट पर टीका-टिप्पणी हुई, तब हममें से, यानी पार्लियामेंट की तरफ से उनके लिए खड़ा होने के लिए कोई नहीं था। मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट की तरफ से उनके लिए खड़ा होने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वह डिसीज़न पार्लियामेंट का था, सरकार का नहीं था। Parliament decided to abrogate Article 370. लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तब इस विषय पर क्या कहा? उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी सरलता से कहा, 'The Judges speak their mind through their judgement which becomes a public property after the pronouncement and people in a free society can always make their opinion about it'. (*Time-bell rings.*) Just one more minute, Sir. I will conclude. The Chief Justice of India further said, 'As far as we are concerned, we decide according to the Constitution and the law. I don't think that it would be appropriate for me either to respond to the criticism or mount a defence on my judgement. What we have said in the judgement is reflected in the reason present in the signed judgement and I must leave it at that'.

मान्यवर, आखिर में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ that sometimes when the Parliament makes a law, and we send it to society, and it is then going to the Judiciary, and the Judiciary upholds the Parliament's view, let us have the same sense of appreciation for the Judiciary. जहाँ पर हमें लगेगा कि Judiciary separation of powers में हमारी powers को कहीं ले रही है, तब हम सवाल जरूर उठाएँगे। जब क्रिमिनल लॉज़ का बिल आया था, तब मैंने इसी फोरम से खड़े होकर उसके बारे में और केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में अपनी राय रखी थी। मगर मैं यह जरूर कहना चाहूँगा that when the Judiciary and the highest court of the land, the Supreme Court, stands up the test of time, stands up against all these words that are against them, I think, the Parliament should also unanimously stand up and say that we believe in what you have done and we stand with you. Thank you very much, Sir.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to discuss on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024; and, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024. Over the recent years, notable advancements have occurred in Jammu & Kashmir and I commend the Government for effectively executing these initiatives. We, from YSR Congress Party, support all these three Bills.

First of all, I would like to say a few things on the OBC Bill. This Bill provides for enhanced representation in local bodies by facilitating the inclusion of Other Backward Classes. As highlighted by the Government, this Bill will mark a historic moment, ensuring justice for the citizens of Other Backward Classes in Jammu & Kashmir for the first time in seventy-five years of India's independence.

Sir, by guaranteeing the reservation for women, including those from marginalized communities such as SCs, STs, and BCs, the legislation advances gender parity in grassroot administration. This marks a significant stride towards empowering women, ensuring their active involvement and representation in decision-making process at the local level. I request the Government to look at the following measures, while approving this Bill. A separate Ministry for OBCs should be established. This is a request from our party. Establishing a dedicated Ministry for Other Backward classes could address their specific challenges effectively.

This proposed Ministry would ensure the effective implementation of OBC's quotas in education and employment while addressing the discrimination they face. It could oversee policies to improve socio-economic conditions and ensure that OBC's concerns are represented nationally promoting social justice and equality. Enhancing the OBC representation in the Government also should be looked at. Also, from our YSR Party, we have initiated some very good programmes like YSR EBC Nestham, YSR Cheyutha – financial assistance to OBC students, etc.,-- at the State level and they are giving very good results. We want the Government of India to look at these things while implementing initiatives for the OBCs. So, from the YSRCP side, we, as a Party, want to say that any form of caste-based discrimination contradicts the principles of our Constitution. Urgent measures must be taken to eliminate it and empower the Backward Class community through education, employment, social mobilisation and the political representation. I urge the Centre to address the issues I have highlighted and, with that, we support this Bill.

Coming to the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2024, again, this is a very good step and we fully support these Bills. Some of the issues that tribals are facing need to be addressed. Tribals are the most deprived. Disturbances and conflicts are there in the tribal regions. They need to be supported with the best of the education. As regards the concentration of Eklavaya Model Schools, in a few districts they are there; they need to be brought very close to the entire tribal communities. Problems relating to health and nutrition faced by tribal communities and Scheduled Castes should be addressed. (*Time-bell*

rings.) Then, issues related to poverty and indebtedness also need to be addressed and empowerment of tribal women need to be looked at.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Then, erosion of cultural identities also need to be addressed. Low representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in senior positions also need to be addressed. Sir, with all these things, our Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy, has extended the SC/ST Sub-Plan of Andhra Pradesh further by 10 years to provide more growth and development opportunities. (*Time-bell rings*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: I request the Minister to address these issues and with this, we support this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. John Brittas. You have two minutes.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, since three Bills are clubbed, please give me a little more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time here mentioned is two minutes. I will follow that, please. It is not in my hands; it is as per rules.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I admire Sasmit Patra*ji* for his overwhelming support to the Government and I wish that he drifts a little further to the Left side. He talked about the Supreme Court's verdict. Is he not aware of the fact that Article 3 which has been used to downgrade a State to Union Territory, affects his State also? Any State can be made a Union Territory in future.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have appealed to all Members to discuss on the subject only, to all.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he spoke…*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: To all.

DR. JOHN BRITTAS: But you did not say anything... ...*(Interuptions)*.. Yes, Sir. I would request my honourable brother Sasmitji to listen to what Justice Nariman spoke about. There has been a commitment by Hon. Amit Shahji and also the Solicitor General in the Supreme Court that the Statehood would be restored. I would have expected the Minister to come forward and say that there is a timeline set and the Statehood is being restored so that J&K is brought back to democracy. Sir, now, when we talk in terms of these three Bills, is the Government aware of the massive shut down that happened in Ladakh? They are urging the Government of India to give Statehood to them. They have declared, nothing across party lines, affiliations, religions; they wholeheartedly said that their position in the erstwhile J&K was better than the current status. Is not the Government aware of it? Anything which seems to be innocuous and innocent, but there is a design from the part of the Government. I will just point out two points which are very relevant to this Bill. Firstly, Sir, in order to amend the salary allowance, they have removed a sub-clause in 36 (a), which relates to the disqualification of a retired Election Commissioner against accepting new jobs after retirement. (*Time-bell rings*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is very relevant. I do not understand what was the need to remove this clause; that means an Election Commissioner can be made pliable. And, one more thing, Sir. Another clause which they have removed is this. As per the general rule, any person who is of unsound mind, stands so declared by a competent court, will not be eligible to be part of the electoral roll. Sir, another clause is being brought saying that 'such other grounds as may be determined by the State Election Commission.' What is this new clause? ...(*Time-bell rings.*)... How are you giving this overriding power to Central Election Commission?

Mr. DEPUTY CHIARMAN: Please conclude, John Brittasji.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the last thing is, if these two clauses ... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude and speak on the subject. Please.

DR. JOHN BRITTAS: If these two clauses have come in or rather this removal has come in an inadvertent way, I would request the Government to correct and stand. Thank you.

MR. DEPUTY CHIARMAN: Thank you.

माननीय सदस्यगण, बहस शुरू होने से पहले से ही मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि हम तीन बिल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। As per rules and procedure, you have to confine your arguments in support or against it. Please do not deviate. I am requesting all the time. You know कि अगर आप deviate करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। So, please cooperate with the Chair. Shri Sandosh Kumar P. Three minutes.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I take this opportunity to demand one important thing. The first and foremost responsibility of the Government is to ensure a free and fair Assembly election in Jammu and Kashmir. It is the duty of the State Government to see that these local body elections are conducted. So, there must be a State Election Commission as well. The Government should take initiative to have an elected State Assembly in Jammu and Kashmir. The Government can make many claims that things are normal, peace has come back. Everything can be stated on the floor of the House. But the reality is that day before yesterday, two persons were shot dead in Srinagar city itself. Sir, they were claiming that soon after the abrogation of Article 370, everything will be ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I again request you to speak on the subject, on these three Bills.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I am talking about Kashmir. It is a very important thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not on Kashmir. These are specific Bills of Kashmir. As per rules, you are supposed to speak on them.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, how can I speak like that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI SANDOSH KUMAR P: So, the important thing is, number one, there must be an elected State Assembly, and that must be the priority of the Union Government. Secondly, we are talking about the OBC reservations and all those things. We all support it. There is no doubt about it. But where is the data available? On all decades, Census used to take place in this country. Last decade, we missed it. So,

on what basis, they can say that this much of people are OBCs, these are STs, and like that, all sections of society. There must be a comprehensive census, and, based on that Census data only, you can move forward.

I take this opportunity to demand one more thing that Caste Census is also an important issue because in the absence of concrete data, you cannot make provisions as to whether it is required or whether it is to be increased or decreased. So, Caste Census is also a must.

Finally, सर, मुझे इस सदन में आए हुए डेढ़ साल हो गया है, तो हर समय मैंने 370 के बारे में सुना था। While you are attcking Article 370, मैं हाथ जोड़कर ट्रेज़री बैंचेज़ के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह प्रोविज़न Constitution के अंदर कैसे आया। पहले 306A था और फिर अंतिम रूप में 370 आया, in the final Constitution. यह नेहरू, अब्दुल्ला और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीन महान नेताओं का एक एग्रीमेट था। आप इतिहास के ऊपर इतना ज्यादा हमला मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine to the subject. ...*(Interruptions)*...

श्री संदोष कुमार पी: महोदय, जब सस्मित पात्रा जी ने 370 के बारे में बोला, तो आपने मना नहीं किया!...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have appealed to all and to you also. I am appealing to you all. ...*(Interruptions)*...

श्री संदोष कुमार पी: लेकिन जब वे बोले थे, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am appealing to you.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I accept it. But the thing is that बार-बार यह कहा जाता है कि नेहरू ने यह किया, वह किया। स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में यह किया। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप किसी भी University से पढ़कर और बाहर आकर ऐसा कुछ भी मत बोलिए। Artcile 370 was an agreement between the three stalwarts of Indian Freedom Movement, Jawaharlal Nehru, Abdullah and Sardar Vallabhai Patel. I request one more thing. मैं हाथ जोड़कर यह भी कहना चाहता हूं, 'Integration of The Indian States' is a well-written book by V.P. Menon. I request them to go through it, study it. With these words, I would like to conclude my speech. Thank you.

श्री उपसभापति: श्री आदित्य प्रसाद। प्रसाद जी, आप कम से कम विषय पर बोलिएगा।

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सात दशक के बाद, 70 साल के बाद जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में पिछड़ा समाज आरक्षण के बगैर हर क्षेत्र में भाग लेने से वंचित था, इसके अलावा अन्य समाज भी वंचित थे। उस स्थिति को समझते हुए यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिल को लाकर धारा 370 को खत्म करने का काम किया, इसके लिए मैं फिर से दिल की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो बदलाव की मिसाल बन जाते हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की विदाई एक ऐसा ही फैसला है, जिसने करोड़ों कश्मीरवासियों के जीवन को बदल दिया। पिछले सात दशक से पूरे देश की यह भावना थी कि अगर जम्मू-कश्मीर हमारा है, तो वहां अलग कानून क्यों हैं, नीति और नियम अलग क्यों हैं, क्यों अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पर चलने को हम मजबूर हैं? ऐसा हम लोगों का कहना था। ऐसे ही बहुत से सवाल हमारे मन में थे। फिर एक निर्णायक कदम आया, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में धारा 370 को हटाने का काम किया गया।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पहले विकास से कोसों दूर था, वहां के लोग दिनों-दिन पिछड़ते चले जा रहे थे, वहां पर विकास की किरण पहुंच नहीं रही थी। महोदय, जब से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, सिर्फ 2019 से 2024 के बीच वहां पर 5,300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, पिछले पांच सालों में वहां पर 58 प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं, जिनमें से अब तक 32 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच साल में 170 नये ब्रिज बनाने का काम शुरू किया गया है।

महोदय, देश के कोने-कोने से, देश के हर वर्ग के लोगों को गांव, गरीब, किसान, महिला, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य समाज को एक साथ, एक धागे में पिरोने का काम किया गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भाव से, इस मूल मंत्र से भारत को ऊंचाई पर ले जाने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को वंचित किया गया। पहले उनके लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। आखिर पिछड़े समाज की क्या गलती थी कि 70 वर्षों तक उनकी कई पीढ़ियां चली गईं, कई युग बीत गए? उनको आरक्षण से वंचित करने का क्या कारण था, यह कांग्रेस को बतलाना चाहिए। हमारी सरकार ने हर वर्ग को उसका अधिकार देने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद, पहली बार जम्मू-कश्मीर में पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय मिलेगा।

महोदय, वर्षों के बाद जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों को अपने अधिकार इस बिल के पास होने से मिलेंगे। महोदय, आखिर वहां के पिछड़े समाज के लोगों की क्या गलती थी, क्या दोष था, उन्होंने क्या पाप किया था कि 70 वर्षों तक उनको कांग्रेस ने आरक्षण से वंचित रखा!

श्री उपसभापतिः ये जो तीन बिल हैं, इन पर ही आप बोलें। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 जो पहले ही सैटल हो चुका है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं।

श्री आदित्य प्रसादः महोदय, कई पीढ़ियां चली गईं, कई युग बीत गए, लेकिन वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के भाव से समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में लगभग 65 वर्षों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस को कभी पिछड़ा समाज याद नहीं आया। इन्होंने कभी पिछड़ों के लिए काम करने के बारे में चिंता नहीं की। देश आज़ाद होने के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आदरणीय नेहरू जी से कहा था कि कानून में प्रावधान हो कि पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी नेहरू ने इन्हें अनदेखा करने का काम किया, इनकी बातों को अनदेखा करने का काम किया गया, लेकिन 70 वर्षों के बाद, देश में एक गरीब बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति का बेटा जब देश का प्रधान मंत्री बना, तो उसने देश आज़ाद होने के 70 वर्षों के बाद पिछड़े समाज को संवैधानिक दर्जा देकर सम्मान देने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये पिछड़ों की बात करते हैं, तो सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और वोट से ठगने का काम करते हैं, * बनाने का काम करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आपका झारखंड से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, लगाव है, ठीक जम्मू-कश्मीर की तरह झारखंड की सरकार, जो कांग्रेस के समर्थन से वहाँ पर चल रही है, 2019 से पहले, जब वहाँ पर पंचायत का चुनाव हुआ था, नगर निकाय का चुनाव हुआ था...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापतिः जम्मू-कश्मीर चुनाव।

श्री आदित्य प्रसादः सर, मैं वही बता रहा हूं। इस प्रकार से वहाँ की सरकार ने कांग्रेस के समर्थन से पिछड़ों के आरक्षण को वहाँ पर भी लूटने का काम किया है। 2019 से पहले पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am appealing to all. All of you have to ...*(Interruptions)*...

श्री आदित्य प्रसादः माननीय उपसभापति महोदय, 2019 के बाद जब झारखंड में पंचायत के चुनाव हुए, तो जिस प्रकार से वहाँ के पिछड़े समाज को पंचायत के चुनाव के आरक्षण से वंचित करने का काम किया गया, ठीक उसी प्रकार से इनका मनोबल इतना ऊंचा है कि जब वहाँ पर नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हुई, तो इन्होंने वहाँ भी पिछड़े समाज को आरक्षण से वंचित करने का काम किया। जब पिछड़े समाज के लोग न्यायालय गए, तो न्यायालय ने हस्तक्षेप करके

* Expunged as ordered by the Chair.

वहाँ चुनाव रोकने का काम किया और पंद्रह दिनों में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आप तीन सप्ताह के अंदर चुनाव की तिथि तय करें और जो संविधानसम्मत है, उस निर्णय को मानते हुए पिछड़ों को आरक्षण देने के बाद ही वहाँ पर चुनाव कराने का काम करें।

श्री उपसभापतिः जम्मू-कश्मीर पर बोलिए।

श्री आदित्य प्रसादः माननीय उपसभापति महोदय, इस प्रकार से यह कांग्रेस का स्वभाव है, उसकी आदत है कि जब-जब वह सत्ता में आती है, जब-जब सरकार में आती है, तो जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में पिछड़ों को सताने का काम किया, दबाने का काम किया, पिछड़ों को विकास के दूर रखने का काम किया - आज जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, जिस प्रकार से पिछड़े समाज के साथ-साथ अन्य समाज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, जिस प्रकार से पहले जब वहाँ कोई धोती पहनकर जाता था, तो उस पर पत्थरबाज़ी होती थी और गोलियाँ चलाई जाती थीं, धोती पहनकर जाने से उन लोगों को लगता था कि यह जम्मू-कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति नहीं है और इस प्रकार से वहाँ जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता था, पिछड़ों को बार-बार प्रताड़ना दी जाती थी, उन्हें आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। महोदय, अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उनके कानूनों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में लगातार शासन किया। आज सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ के पिछड़े समाज को एक संवैधानिक अधिकार देने का काम किया गया है और जो वंचित बचे हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर में पिछड़ों की जो एक सबसे बड़ी आबादी है, उस पिछड़े समाज को अधिकार देने का काम किया है। मैं आज के दिन पुन : देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को बधाई देते हुए और यह बात प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय नीरज डांगी जी, अब आप बोलिए।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[**उपसभाध्यक्ष महोदया** (**श्रीमती ममता मोहंता**) *पीठासीन हुईं।*]

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अनुसूचित जाति आदेश के माध्यम से वाल्मीकि समाज एवं अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से इस संशोधन बिल में पहाड़ी जातियों और कोली समुदाय को सम्मिलित करने की बात कही है, लेकिन सरकार देश भर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कर रही है - यह तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो प्रावधान किए गए हैं और जो सुविधाएं आरक्षण के अंतर्गत उन्हें मिलनी चाहिए, क्या सरकार उन्हें पूरा करने का कार्य कर रही है? महोदय, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए जो उत्थान की बात करते हैं और विशेष रूप से जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, क्या वे लक्ष्य पूर्ण किए जा रहे हैं? क्या इन बिलों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर बनाने के लिए, एससी-एसटी के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष पैकेज या कोई विशेष परियोजनाएं लाई गई हैं, जिनसे उनके जीवनयापन का स्तर ऊपर बढ़ सके? मैं इस मामले में छः मुद्दों पर बात करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को इन छः मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने शायद चुनाव हारने के डर से वहाँ असेम्बली के चुनावों को नहीं कराने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो जम्मू-कश्मीर के लोगों की चुनाव से जो उम्मीदें हैं, वे पूर्ण होनी चाहिए। वहाँ जल्द-से-जल्द चुनाव की घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा इस वक्त वहाँ पर सिर्फ एलजी के माध्यम से ही शासन चल रहा है, वह सिर्फ नौकरशाहों के अधीन है। यह मॉडल अंग्रेज़ों के जमाने का है, जिसे काँग्रेस ने नकारा था, लेकिन आज उसे भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार कर लिया है। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वहाँ पर लोगों ने सड़कों पर उतर कर सरकार का विरोध किया है। उनकी माँग है कि उन्हें छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि लेह-लद्दाख के अंदर माइनस 15 डिग्री टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है, उस ठंड के अंदर भी वे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की बात की है। इसमें उनका यह कहना है कि यह सरकार इन्हें पूँजीपतियों को बेचने पर उतारू है। यह इस बात का परिचायक है – भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में डालने के बाद भी उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन समृद्धि के इन वादों के बावजूद भी पिछले पाँच वर्षों में मात्र 211 करोड़ रुपये निवेश किये गये हैं। यह उनके राजनीतिक अधिकारों की, स्वायत्तता की बलि है या राजनीतिक उपयोग है?

मैं अब चौथी बात कहना चाहूँगा। अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त गृह मंत्री जी ने सदन में क्या कहा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन यह कहा गया था कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर पूरे तरीके से आतंकवाद मुक्त होगा, लेकिन पिछले पाँच सालों में वहाँ आतंकवाद की अनगिनत घटनाएं घटी हैं, जिनका आंकड़ा सामने है। वहाँ पर अभी 579 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनके परिणामस्वरूप सुरक्षाबल के 247 जवान शहीद हुए हैं, 230 आतंकवादी और 157 नागरिक मारे गए हैं। अगर 2014 और 2018 के बीच की तुलना की जाती है, तो मृतकों और ऐसी घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई है। इसे देखने की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)... बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मंत्री महोदय, आप लास्ट में बोल लीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती ममता मोहंता**): आप बैठिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... उन्हें बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... उन्हें बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी: यदि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तो क्यों इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं? सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तो क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर में एक दौरा किया था। हमें सिक्योरिटी क्यों दी जा

रही है? अगर सब कुछ ठीक है, तो वह सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? वहाँ पर आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है।

मेरा पाँचवां प्वाइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, यह तय किया जाए। इसके लिए सरकार एक डेट मुकर्रर कर दे और बताए कि चुनाव कब होगा और वह चुनाव जम्मू-कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में होगा या स्टेट की कैटेगरी में होगा? आप इसे भी सुनिश्चित करिए, इसे क्लीयर करने की आवश्यकता है।

छठा मुद्दा, अगर आज हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें, तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। सिर्फ अमेंडमेंट करने से एससी, एसटी के अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। आज भी छुआछूत कितना है, मंदिरों में प्रवेश नहीं है, किस प्रकार के हालात पूरे देश और जम्मू-कश्मीर में बने हुए हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के प्रति सरकार की इतनी ही मानसिकता है, तो क्यों नहीं इन्होंने उनके लिए काम किया। यहां हम इस भवन, इस सदन में बैठकर अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान की बात कर रहे हैं। इसी भवन के अंदर हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया को इन्विटेशन भी नहीं मिला था। आप इस बात को मत भूलो। इतना ही नहीं, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तब आपने उस अनुसूचित जाति की महिला, हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उनको इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? यह आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी हैं। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, आप लास्ट में रिप्लाई दे देना ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती ममता मोहंता): आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी: मंत्री का जो रिप्लाई होता है, ये वह देना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)... मैं कहना चाहता हूं कि *..(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती ममता मोहंता): आप उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... इनकी स्पीच खत्म होने के बाद, आपका भी टाइम आएगा। ...(**व्यवधान**)...बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी: * इस सरकार ने देश के अंदर किस प्रकार के हालात पैदा कर दिए! ...(**व्यवधान**)... मैं बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। आज भी एससी/एसटी के लोगों के क्या हालात हैं? क्या आप manual scavenging को खत्म कर पाए?

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

* Not recorded

Manual scavenging का मामला आज भी जिंदा है और आप वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं! यहां इनके साथ कुठाराघात जरूर हो सकता है, इनके प्रति संवेदनाएं कभी नहीं आ सकती हैं। यह सरकार इनको न्याय नहीं दिला सकती है। एससी, एसटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनको रोकने का काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी यूजीसी का पहला ही...(**व्यवधान**)... आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, तो आप ही बोल लीजिए और मैं बैठ जाता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, बार-बार खड़े होने का क्या मतलब है?...(**व्यवधान**)... इनको जवाब देना है, तो वे बाद में दे दें। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Neeraj Dangi, one minute. ...*(Interruptions)*... Let the House calm down. ...*(Interruptions)*... Mr. Neeraj Dangi represents the State of Rajasthan. Though there are several Members of Parliament of Congress Party from Rajasthan but he is the only one belonging to Rajasthan. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, in fact, for Congress, for both the Houses.

MR. CHAIRMAN: You are the only Congress representative belonging to Rajasthan here. We have Dr. Manmohan Singh, we have Shri K.C. Venugopal, we have Randeep Singh Surjewala ji, we have Pramod Tiwari ji, we have Mukul Wasnik ji. Therefore, I can understand your compulsion but to be forceful, you do not have to raise the decibel.

श्री नीरज डांगी: सर, अगर आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो आवाज को उठाना भी पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: We had on the Chair a very experienced gracious lady. Put your proposition. ...*(Interruptions)*... आपको कहावत तो पता ही है - 'हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या'।

SHRI NEERAJ DANGI: Definitely, Sir. सर, आपकी इजाज़त हो, तो मैं अपनी बात आगे कहूं।

श्री सभापति: ठीक है, बोलिए।

श्री नीरज डांगी: अभी जब हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अत्याचार अनुसूचित जाति, जनजाति पर होते हैं और उनकी अनदेखी हो रही है। ये उनको न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना होता, तो अभी ज्वलंत उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। अभी यूजीसी की जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी, अगर उस पर विरोध नहीं किया होता, तो उस ड्राफ्ट गाइडलाइन के अंदर डीरिज़र्वेशन की बात चल रही थी। धीरे-धीरे आरक्षण को किस प्रकार से खत्म किया जाए, इस

पर व्यवस्था चल रही है। एससी, एसटी के जब कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो जनरल कैटेगरी से उन भर्तियों को पूर्ण कर लिया जाता है। आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है? चुपके-चुपके की गई यह कार्रवाई हमारी समझ के बाहर है।

अगर हम आदिवासी और दलित समाज की बात करें, तो भाजपा सरकार में हर 2 घंटे के अंदर 5 ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें उस समाज के लोगों के खिलाफ अपराध की बात आती है। मैं बात करूँगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। जब हम अनुसूचित समुदाय के खिलाफ अपराध की बात करते हैं, तो 2014 से लेकर 2022 के बीच ऐसी घटनाएँ 40,401 से बढ़ कर 57,582 हो गई हैं, जो 42 प्रतिशत की वृद्धि है। ऐसे ही एसटी समुदाय में 2014 से लेकर आज तक यह वृद्धि 47 प्रतिशत हुई है, जो 6,827 से बढ़ कर 10,064 हो गई है। इसका जवाब देने की आवश्यकता है। हम किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, यह आप खुद देख लीजिए। अगर वास्तविकता है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। एससी-एसटी को क्या मिलना चाहिए, कितने प्रतिशत मिलना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जैसा अभी सभापति महोदय ने कहा। मैं कहना चाहूँगा कि इस पर कोई पॉलिसी बननी चाहिए। अगर डाटा नहीं होगा, तो हम इन लोगों के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाएँगे, यह सोचने की आवश्यकता है। अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की पापुलेशन के हिसाब से देखें, तो चाहे वे नौकरियाँ हों, मंत्रालयों में ब्यूरोक्रेट्स हों, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या कॉरपोरेट घराने हों, जब सभी जगहों के ऊपर का डाटा सामने होगा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भागीदारी प्रतिशत के हिसाब से सही मायने में सुनिश्चित हो सकेगी। 2011 की जनगणना का जो आँकड़ा है, वह एक मूल्यवान स्नैपशॉट जरूर प्रदान करता है, लेकिन यह डाटा उपयोग में सामाजिक न्याय पर प्रगति को ट्रैक करने का हो सकता है या इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हो सकता है कि किस प्रकार से इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। जातीय जनगणना के बिना प्रभावी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डाटा गायब है। मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसे आवश्यकतापूर्वक अमलीजामा पहनाना चाहिए।

अगर हम जम्मू-कश्मीर के इस बिल की बात करें, तो निश्चित रूप से हम रोजगार की और नौकरियों की भी बात करेंगे। आज केन्द्र सरकार में लगभग 10 लाख रिक्तियाँ हैं और अगर हम संपूर्ण विभागों की बात करें, चाहे सरकारी विभाग हों, बैंक हों, सार्वजनिक उपक्रम हो, सशस्त्र बल हो, शिक्षण संस्थाएँ हों या स्वास्थ्य संस्थाएँ हों, हम इन तमाम विभागों का, संस्थाओं का डाटा उठा कर देखेंगे, तो ये रिक्तियाँ 30 लाख तक होती हैं। जब हम 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये रिक्तियाँ 15 लाख होती हैं। अगर सरकार इन 15 लाख रिक्तियों को भरने की कार्रवाई नहीं कर रही है, जो यह दो करोड़ नौकरियों की बात कर रही थी, जो वादाखिलाफी की गई है, तो वह दो करोड़ नौकरियाँ क्या देगी, यह देश देख रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से ...(**समय की घंटी**)... Sir, I was allocated 17 minutes.

श्री सभापतिः एक बात है कि आप टाइम को भी मॉनिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। You are making a political speech.

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, I was allotted 17 minutes. I have started just now.

MR. CHAIRMAN: Your time is over. Thank you. Now, Shri Jawhar Sircar. *..(Interruptions)..* Your time is over. *..(Interruptions)..* Nothing will go on record now. *..(Interruptions)..*

श्री नीरज डांगी: सर, मुझे आधे मिनट का समय दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Okay.

श्री नीरज डांगी: मैं सिर्फ दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा,

"लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर,
देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं।"

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द!

MR. CHAIRMAN: Jawhar Sircar *ji*, six minutes, please.

SHRI JAWHAR SIRCAR(West Bengal): Thank you, Sir, for giving me time.

MR. CHAIRMAN: One minute, Jawhar ji. Hon. Minister wants to say something.

श्री नित्यानन्द राय: सर, इनका यह * अगर उन्होंने कुछ किया होगा, कहीं कुछ साबित हुआ होगा, कुछ सिद्ध हुआ होगा, कुछ साक्ष्य मिला होगा, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने की जो संस्थाएँ हैं, वे कार्रवाई करती हैं। मुझे लगता है कि यह बात रिकॉर्ड से हटनी चाहिए। वे यह बोले, यह आरोप है।

MR. CHAIRMAN: I will look into it. अगर यह बात है, तो it cannot go on record. Agencies work in the country. System works and the rule of law is there. Shri Jawhar Sircar.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, thank you for giving me the time to say a few words on the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024.

* Not recorded

Sir, I would start by noting that gujjars and bakarwals are among the STs who are being given reservation under this Order. It is very strange that selective Muslim tribes have been brought in into the Scheduled Tribe Order whereas Muslims are debarred by and large from availing of SC and ST facilities. If there is a Christian ST, a tribal who has adopted Christianity as his religion by volition or by whatever historical reasons, he is debarred. But here you bring a constitutional order bringing one section of the Muslims as ST to give them security, reservation privilege. Basically, Sir, I can submit that it is divide and rule. When you talk of gujjars and bakarwals, this Government has made a lot of outreach to them. We are aware of it. We are also aware of the firing on civilians that took place recently after an encounter incident which is very sad because the victims were the same gujjars and bakarwals. Of course, enquiries have been taken up. Now the issue that I would like to raise, if you kindly permit, in the context of J&K and in the wider context is that the politics of castes and tribes is a colonial hangover. When you speak of colonial hangover, why do you perpetuate it? Either you accept the fact that certain people in India who are deemed to be Scheduled Tribes today have gone through the same experiences of repression, deprivation, subjugation and non-entitlement. Just because a part of them have moved on to accept some other religion, you cannot go on penalising them. You burnt them when they were Hindus. You boiled them. Now they have left Hinduism. You can't have it two ways. छाती बड़ी कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। This is not the way to run a country. When I look back at the steps taken by the Government, even in J&K, I am tempted to point out developments in my State of West Bengal. The literacy rate of SCs and STs in West Bengal is at least 8-10 per cent higher. If you want, I can quote it. The all India SC Gross Enrolment rate is 75 and ours is 85. On every count, when you wonder why West Bengal stands ahead of certain other States in terms of social equity and justice, you must look back at these figures. It is good that you have gone in for reservation. I hope that the Scheduled Castes that you are talking about are locals. There is a feeling that the locals are being pushed back to the wall. There is a feeling that this Government is blase, is indulgent when it comes to reservation. My good friend Neeraj Dangi mentioned about the De-reservation Order that the UGC had drafted. Sir, I express the apprehension of the House across the Benches at the fact that the reservation policy is being nibbled away and is sought to be diluted. It is not in the interest of the nation to seek excuses and to keep diluting the order. It was started with De-reservation Order on SCs and STs in education. Tomorrow, it will extend to employment. Tomorrow, it will extend to other area. Please take a firm resolve across the table that de-reservation is a crime. It should not be touched. Whereas if you do not find suitable candidates even after the second or

third attempt, dilute the provision by 10-20 per cent. But please do not touch reservation. Please do not go in for any step that militates against centuries of oppression.

Sir, about Kashmir, I would humbly submit this. I would not get into the politics of a State in which security is involved but I would humbly submit that there is a vast and a strong impression that we are acting almost as an occupation force. This impression should not be there. We should get into the hearts of the people and not talk down to tell them what is wrong with them. No people anywhere in India would accept a forceful order telling them how to behave. We have to make sincere attempts to give the feeling that law and order is a select subject, is a surgical matter and not a boxing glove. That is all. With that, I have made my comment on both the Orders. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ryaga Krishnaiah; four minutes.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH (Andhra Pradesh): Respected Chairman, Sir, I support this Bill because it is extending to Jammu and Kashmir. Sir, I would speak in Telugu. *"Even after 76 years of Independence, people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Communities still do not have the opportunity to develop on an equal basis when compared with people from other communities in this country. Dr. Babasaheb Ambedkar's Constitution provided reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the fields of education, job and politics, but due to the lack of sincerity from the previous Governments, these castes are lagging behind in all fields. The entire society needs to think about this. Unfortunately, the country is divided on caste lines. It is very unfortunate to note that no one has brought such a basic concept of the abolishment of the caste system. So, there is a need to investigate this thoroughly and comprehensively and take necessary measures in this regard. There is a need for every member of the society to think about this with a positive perspective. It is because all the citizens of India are equal. People belonging to these sections should also progress like others. On the one hand, we say '*Lokah Samastah Sukhino Bhavantu*' and '*Sarve Jana Sukhino Bhavantu*' but on the other hand, if more than half the population belonging to some sections are drowning in innocence, ignorance, misery and poverty, then, it is not correct, Sir. This kind of approach is not practised in any other country but only in our country. To eliminate this effectively, measures should be taken for the development

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

of SC, ST and BC communities. In the case of people from Other Backward Communities, injustice is still meted out to them. They do not have the reservation based on their population percentage. OBCs have only 20% of the reservation even if they make up for more than 50% of the population. It is still being implemented as per the Mandal Commission recommendations. Even after 30 years, 16% of jobs reserved for them are not filled. In the Central Secretariat, there are 97 secretaries of IAS cadre of which only 3 belong to the OBC. This is gross injustice. Unfortunately, no leader from any party raises any issue about these groups. Moreover, there is no scheme, no financial incentive and no Ministry for the development of OBCs in the Central Government. Sir, though seats are reserved for OBCs in the Central Institutes like IITs and IIMs, as there is no financial and scholarship support, they are not taking up admission even after securing admission to these prestigious institutions. Sir, even after such gross injustice to these communities, basic action was not taken up in their regard. The Central Government has to take necessary action in this regard. At present, we have a great Prime Minister. If he cannot take any step, then no Prime Minister can take any step. Sir, through you, I request the Central Government to create a Ministry for the OBC and also to enhance the budget for the OBCs.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Very impactful! Shri A.A. Rahim, two minutes.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, today, I am not opposing the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024. But I would like point out the intention of Union Government's vote bank politics behind this Bill. This is just a continuation of the delimitation that took place in 2022 which was another divisive and vote bank politics of the Union Government. In the delimitation, they had combined the Anantnag region in the Valley and Rajouri and Poonch of the Jammu region which was a Muslim majority area. Through this, they have made a Hindu majority constituency. Also, the Delimitation Commission allocated six seats to Jammu and only one seat to Kashmir in Assembly. Now, Jammu has 43 seats which means 44 percentage of the population getting 48 percentage of the seats and in Kashmir, 56 percentage of the population getting only 52 percentage of the seats. What the Union Government is doing is, it is dividing the people to grab power. The fear that if another election is held, the people would not choose BJP is forcing the Union Government to introduce delimitation and these types of Bills. Why is the Union Government running away from the State Assembly election? Even the Supreme Court in its verdict on the abrogation of Article 370 has asked for immediate election.

Is the Government ready to say before this august House that the Assembly elections would be ensured in Kashmir? Two days ago, I was listening to the reply of Hon. Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, when he said that there is equality in Jammu and Kashmir after scrapping of Article 370 of the Constitution. I would like to remind you about the answer that was given to me by the Minister, Shri Ramdas Athawale, in the 260th Session of the Rajya Sabha. In the answer, it is said that there is more than a ten-fold increase in cases of atrocities against SCs in Jammu and Kashmir from 2017.

MR. CHAIRMAN: Dr. M. Thambidurai, three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Chairman, Sir, we are taking up the Bills for consideration and passing regarding the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024. Our two Hon. Ministers are here giving reply about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Here, it is said about Kashmir that they are going to include the *Valmiki* community in the Scheduled Castes. But, if you see Karnataka, it is a Scheduled Tribe. If you see Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh, that community has status of Backward Class. I could not understand what our nation is doing. We all along are demanding that this *Valmiki* community be included in the Scheduled Tribes. I am in Tamil Nadu where my assistant is working. He is from *Valmiki* community and is called a Backward Class. His marriage was held in Karnataka. His wife is from a Scheduled Tribe. What is the contradiction, I cannot understand. But I am, for long requesting our Hon. Ministers, nobody is taking care of our Tamil Nadu's interests. Regarding the reservation for local bodies, nearly 50 per cent has to be reserved for women. In Tamil Nadu, under the leadership of the former Chief Minister, Madam Jayalalithaa*ji*, 50 per cent of women were given reservation in local bodies. That has to be in Jammu and Kashmir also. In the same way, our Dravidian Party, especially the Justice Party in 1926 became a model for the Indian country to implement the reservation policy in this country. At that time, reservation policy for Backward Classes was brought in Tamil Nadu. You know very well that afterwards, our M.G.R. became the Chief Minister and he made 69 per cent reservation for the people. That has to be implemented in Jammu and Kashmir also. Apart from that, when Amma was the Chief Minister, this 69 per cent reservation was made to included in the XI Schedule and give, the constitutional right because that must not deprive them; many

people are going to the Supreme Court. Therefore, constitutional provision must be given for this kind of reservation, which you are asking.

Sir, regarding atrocities on * and all, now, Girirajan*ji* has said that in the present Government, we are having a good law and order situation and there are no atrocities. But, Sir, in one village, that is, Vengaivayal Village in Pudukkottai District, Tamil Nadu, where the human stools are mixed in the drinking water. It is a Scheduled Tribe colony. But, who did this, still, we could not investigate.Therefore, I request the Central Government to intervene as to how the atrocities are taking place on the Scheduled Castes' people in Tamil Nadu. *(Time-bell rings.)* It has to be looked into seriously. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा (नाम-निर्देशित): माननीय सभापति महोदय, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन विचार कर रहा है। यह सदन जिस बात को विमर्श में लाया है, जो संशोधन बिल आया है, वह कोई सामान्य बिल नहीं है, इसलिए सामान्य नहीं है कि हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। 16 नवम्बर, 1992 को 9 जजेज़ की बेंच ने जब फैसला लिया था, तो जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी प्रान्तों ने लागू किया, लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त कर के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय गणतंत्र को पूर्णता ही नहीं दी, बल्कि भारतीय समाज के हर उस वर्ग को, जो संवैधानिक अवसर और संवैधानिक प्रावधानों से वंचित था, उसे संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अवसरों तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें जम्मू-कश्मीर के एससी, एसटी और ओबीसी तीनों ऐसे समुदाय हैं - कोई भी राष्ट्र और राज्य तब तक विकसित नहीं होता है, जब तक उस राज्य और राष्ट्र में एक बड़ा वर्ग अपने आपको ठगा हुआ या वंचित महसूस करे। न्याय की अवधारणा यह कहती है कि राज्य का यह दायित्व होता है, सिर्फ संविधान के आधार पर ही नहीं, बल्कि नैतिकता के आधार पर उन सभी वर्गों में यह विश्वास दिलाए कि यह राज्य उनके लिए है, राज्य उनका है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, वर्ष 1956 में जम्मू-कश्मीर राज्य ने गजेन्द्रगडकर कमीशन का गठन किया, उस कमीशन की रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं हो पाया। वर्ष 1969 में वज़ीर कमीशन का गठन हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। वर्ष 1977 में आदर्श सेन आनंद कमीशन का गठन हुआ, जिसने मात्र 2 प्रतिशत रिज़र्वेशन ओबीसी को दिया। इन परिस्थितियों में यह ज़ाहिर होता है कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना, वह ऐतिहासिक कदम हुआ कि हाशिये के लोग, जो पिछड़े थे, जो दशकों से ही नहीं, बल्कि शताब्दियों से अपनी पहचान के कारण, अपने जन्म के कारण आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक चीज़ों से वंचित होते थे, राज्य ने उनकी इस वंचना को समाप्त

* Expunged as ordered by the Chair.

करके मुख्य धारा में लाने का काम किया, इसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है।

एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है कि ओबीसी समाज को हम किस रूप में देखें, किस रूप में उन्हें लाभ मिलना चाहिए था? महोदय, इस देश में लम्बे समय से विमर्श चला था, काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ था। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया ने 84 पेज का dissent नोट दिया था। जिस प्रकार से सरकार ने काका कालेलकर कमिटी को ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद मंडल आयोग का गठन हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है कि यदि हम सामाजिक, आर्थिक संवेदना के साथ काम करते, तो अपनी जातीय पहचान और जातीय विशेषाधिकार का सवाल हमारा पीछा नहीं करता, लेकिन लोक सभा में उस वक्त जो बहस चली, बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि उस समय की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मंडल आयोग पर जो स्टैंड लिया, मैं लोक सभा की डिबेट में स्वर्गीय राजीव गांधी का भाषण पढ़ रहा था। यह भाषण वर्ष 1990 का है। इस देश का हर व्यक्ति जातिविहीन समाज की कल्पना करता है।

3.00 **P.M.**

लेकिन जातिविहीन समाज की कल्पना करने में, उसकी आड़ में, उस मुखौटे में जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका दमन नहीं होना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने जो कहा, उसको मैं शब्दशः अभिव्यक्त करता हूं। एक तरफ राममनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, ये सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं और उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने में हम किसी जाति विशेष को, पिछड़ों को, हाशिए के लोगों को दबाना नहीं चाहते हैं। राजीव गांधी जी ने जो कहा, मैं उसको क्वोट करता हूं। He said, "Is our goal a casteist society?" मंडल कमीशन पर बहस चल रही थी। मंडल कमीशन को लागू करने की बात चल रही थी, तब He said, "You must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society." क्या मंडल कमीशन का लागू किया जाना, पिछड़ों को अधिकार देना, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, जो कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, जो Government of India में सचिव के पद तक नहीं पहुंच पाते थे, Under Secretary तक नहीं पहुंच पाते थे, क्या इनको अधिकार देना caste-ridden society पर जाना था? उन्होंने आगे कहा - "Unfortunately, the step that we are taking today, the manner in which it is put, is a casteist formula. We must dilute that formula and break that formula by adding something on it." जो सूत्र अपनाया जा रहा है, जो formula अपनाया जा रहा है, वह formula हमें casteist सोसायटी की ओर ले जा रहा है। यदि समाज के हाशिए के लोग, जो दशको तक स्कूल का दरवाजा नहीं देख पाए, जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते थे, जो संसदीय जनतंत्र को एक voter के नाते देखते थे, उनको अधिकार दिया जाना, क्या जातिवाद को बढ़ावा देना है! उस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पाई। आज जम्मू-कश्मीर के Scheduled Tribes, Scheduled Castes और OBC को आरक्षण मिल रहा है।

महोदय, इस बिल का महत्व इसलिए है कि पहली बार जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक आरक्षण दिया जा रहा है। 4,130 सरपंच हैं, 19,170 पंच हैं, कुल मिलाकर लगभग 29,170 सरपंच

हैं। कुल मिलाकर 32,000 लोगों में अब OBC का प्रतिनिधित्व होगा। कल तक जो three-tier democracy हमारे पास थी, उनमें OBC का प्रतिनिधित्व नहीं था। क्या हमने सोचा कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान से, अपने घर से निर्वासित होकर कश्मीर आए थे, क्या जम्मू-कश्मीर का Scheduled Tribe झारखंड के Scheduled Tribe से अलग है, क्या जम्मू-कश्मीर का Scheduled Caste असम और बंगाल के Scheduled Caste से अलग है, क्या जम्मू-कश्मीर का OBC, उत्तर प्रदेश और बिहार के OBC से अलग है! जो लोग OBC के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ की तरह रोते हैं, वे देश को बताएं कि 1947 से लेकर अब तक OBC, SC और ST को वंचित क्यों रखा गया है? इसके लिए वे दोषी नहीं हैं, तो और कौन है?

महोदय, 370 के हटने के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। राजनीति की ओर तो हम बढ़े ही हैं, constitutional mannerism, constitutional morality दोनों को हमने लागू किया है, लेकिन विकास का जो पैमाना तय हुआ है, उसकी एक medical पत्रिका है, स्वास्थ्य की पत्रिका है 'The Lancet', जो लंदन में छपती है। जनवरी के महीने में William Joe and S. V. Subramanian का एक आर्टिकल आया है। जो National Health Survey Report के आधार पर 129 indicators बनाए गए थे, उस report में एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि लगातार कई वर्षों से - उन्होंने 2021 तक का सर्वे किया, बल्कि तीन साल का सर्वे बाकी था - 48 indicators में, यानी 129 में से 48 indicators में Scheduled Castes की अद्भुत प्रगति हुई है, radical transformation हुआ है। अब यह बताइए कि अगर 370 नहीं हटती, तो उनकी आवाज ही नहीं सुनी जाती - वे अनशन पर बैठते थे, धरना देते थे, सरकार को memorandum देते थे, लेकिन अखबार में केवल तीन पंक्तियां छपकर रह जाती थीं। उनके सिर पर 370 का इतना दबाव था कि वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। 29 indicators में आज वहां के Scheduled Castes, Scheduled Tribes हिन्दुस्तान के अन्य भाग के लोगों से, यानी अन्य राज्यों की तुलना में आगे हैं। यह जो प्रगति हुई है, इस प्रगति का श्रेय आप किसे देंगे! क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस शासन व्यवस्था को देंगे, जो यूनाइटेड नेशंस में जम्मू-कश्मीर के मसले को लेकर गए! क्या उनको देंगे, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को बैठाकर हिंदुस्तान के अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटों को एकलव्य बनने के लिए बाध्य किया है! क्या हम एकलव्य की कहानी से अपरिचित हैं! जिस एकलव्य ने एम.ए. पॉलिटिकल साइंस से किया, चूंकि वह बाल्मीकि समाज का बेटा था, उसे कहा गया कि तुम्हें सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ेगा। वे सफाई कर्मचारी, जो पंजाब से तब आए थे, जब जम्मू-कश्मीर में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था, जब वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तब वे वहां आए। वे आपात स्थिति में साथ देने के लिए आए थे, उनकी पीढ़ियां बढ़ीं, उनकी संख्या बढ़ी, समय बदला और आधुनिक भारत बन गया, लेकिन बाल्मीकि समाज के बेटों को कहा गया, बाल्मीकि समाज की बेटियों को कहा गया कि आप बाल्मीकि हैं, आप सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम कर सकते हैं। आप न तो बैंक की नौकरी में जा सकते हैं, न आईएएस की नौकरी में जा सकते हैं, आप तो इसी के लिए बने हैं। इस देश पर 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, आधे दर्जन प्रधान मंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नुमाइंदे जो जम्मू-कश्मीर में बैठते थे, उनको जबाव देना पड़ेगा। अगर वे जबाव देने की स्थिति में नहीं हैं, तो कम से कम विकास के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा - कम से कम देश के उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद दी है। जब धारा 370 को हटाया जा रहा था, तो कहा जाता था कि देश में खून की

नदी बह जाएगी। धारा 370 हटने का जो जश्न है - ये 29 हजार पंच और 4 हजार से अधिक सरपंच लोग कौन हैं, वे बाहर से आयातित नहीं किए गए हैं, वे वहीं के पंच, वहीं के सरपंच हैं। आज गांवों में विकास का पैसा पहुंच रहा है, पंच और सरपंच अपने हाथों से उस पैसे से गांव का विकास कर रहे हैं। जिस बारामूला में, जिस शोपियां में आंतकवादियों का गढ़ था, वहां विकास के केन्द्र बन गए हैं। बारामूला में दूध का प्रोडक्शन इतना अधिक हो रहा है कि वहां से दूध बाहर जा रहा है, वहां पर श्वेत क्रांति आ रही है। जहां पर खून की नदी बहती थी, वहां आज दूध की नदी बह रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उन लोगों को जम्मू-कश्मीर के ऊपर आत्म-चिंतन करना पड़ेगा। यह इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के द्वारा 1964 में धारा 370 को हटाने के लिए प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाया गया था। जब भागवत झा आजाद भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सरजू पांडे भी थे, सोशलिस्ट के मधु लिमये थे, राम मनोहर लोहिया थे। एकमत से सदन ने कहा कि धारा 370 को हटाइए। उस समय कांग्रेस पार्टी की क्या बाध्यता थी कि अपने ही सदस्य के द्वारा लाए गए प्राइवेट मेम्बर्स बिल - यह बिजनौर के सांसद द्वारा लाया गया था, जो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन कांग्रेस से सहमति थी - उस बिल पर क्यों कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा कि हम आगे इस कानून को समाप्त करेंगे, तत्काल इसको नहीं मानेंगे और उस पर वोटिंग हुई। ...(**समय की घंटी**)... मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 समाप्त होने के पश्चात देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो सुविधाएं, जो अवसर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, ओडिशा के ओबीसी भाइयों और बहनों को मिल रहा है, वही अवसर जम्मू-कश्मीर के ओबीसी भाइयों और बहनों के मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी को सताने के लिए देश से माफी मांगे। जो लम्बे समय तक सताए गये हैं, अब उनकी आवाज मुखर हुई है। ...(**समय की घंटी**)... आज जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। आपके बोलने का समय 13 मिनट है।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश)**:** माननीय सभापति महोदय, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं खुद भी बाल्मीकि समाज से आती हूं, जिनके हितों का संरक्षण इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

महोदय, बाल्मीकि समाज कौन है - इस विधेयक के माध्यम से जिस जाति, समुदाय का उत्थान रुका हुआ है, उसे न्याय दिया जा रहा है। यह जरूरी है कि हम इस इतिहास की संवेदनाओं से ऊपर घटित दशकों की प्रताड़ना को समझें। महोदय, मैं बाबा साहेब के बाद माननीय मोदी जी के माध्यम से बाल्मीकि समाज की पहली महिला सदस्य उच्च सदन में आई हूं, यह एक इतिहास में दर्ज होने वाली स्थिति है। महोदय, मैं माननीय मोदी जी के साहसपूर्ण निर्णय धारा 370 हटाने पर अपनी दो पंक्तियाँ बोल रही हूं,

"हे भारत के महामानव, हम करते बारम्बार प्रणाम,
सदियाँ बीतीं, तुम आए, तो बदल दिया हिंदुस्तान।"

बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मोदी जी ने सभी को साथ लेकर चलने, समरसता का भाव और गरीब-अमीर, ऊंच-नीच की खाई को समाप्त करने का संकल्प लिया।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, मैं आज यहाँ पर जम्मू-कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के बारे में बोल रही हूं। 1947 में वाल्मीकि समुदाय के 272 लोगों को पंजाब से महिलाओं और बच्चों सहित लाया गया था। उसका कारण यह था कि पहले वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी सफाई का कार्य करती थी, उन्होंने एक जज के ऊपर कचरा फैंक दिया था और स्ट्राइक पर चली गई थी। वहाँ की सरकार ने उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और पंजाब से वाल्मीकि समुदाय के 272 परिवारों को लाया गया। तब से लेकर यह समुदाय जम्मू-कश्मीर में गटर साफ करने जैसे नारकीय कार्य करने को मजबूर है। यह समुदाय वर्षों से इसी काम को कर रहा है।

महोदय, एक सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली। इन्होंने घोर उपेक्षा को ही अपना नसीब मान लिया। महोदय, आज कई पीढ़ियां अपना अस्तित्व बचाने के संघर्ष में लगी हुई हैं। इस वर्ग की कुरबानी इतिहास में दबी पड़ी हुई है। रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाली कौम को जम्मू-कश्मीर में न्याय नहीं मिला।

महोदय, जैसे 'चूड़ा' शब्द है - 'चूड़ा' शब्द गाली है और जो 'भंगी' शब्द प्राप्त हुआ है, यह 'भंगी' शब्द जब मान भंग होता है, तब उसे भंग कहा जाता है, लेकिन उसका नाम दिया गया कि 'भंगी' है।

महोदय, 'मेहतर' शब्द उर्दू शब्द है। यह भी गुलामी की निशानी का प्रतीक है। वहाँ की सरकार ने और उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमें जिल्लत से भरे शब्द दिए। महोदय, इन शब्दों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो एक 'चूड़ा' शब्द लगाया गया है - जब वहाँ पर बाल्मीकि समाज के लोग प्रमाण-पत्र मांगने जाते हैं, तो उन्हें 'चूड़ा' शब्द दिया जाता है, यानी एक गाली वाला प्रमाण-पत्र दिया जाता है। महोदय, "बाल्मीकि" और "वाल्मीकि" स्पेलिंग मिस्टेक के कारण "वाल्मीकि" और 'बाल्मीकि' में अंतर देखा जा रहा है, जबकि यह एक ही है और इसके कारण उन्हें सरकारी लाभ के प्रमाण-पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। अब मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें न्याय दिया है।

महोदय, 2014 में हमारे देश में हिंदुस्तान की बागडोर जनता ने संत स्वभाव के व्यक्ति मोदी जी को सौंपी और मैं कहना चाहूंगी कि,

"नया सवेरा, नया उजाला
आया है कोई नई इबारत लिखने वाला,
वो है मोदी हिम्मतवाला।"

महोदय, उन्होंने इस शब्द को चरितार्थ किया है। उन्होंने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठा ली और सभी को यह संदेश दिया कि स्वच्छता किसी एक समुदाय का कार्य नहीं है, बल्कि यह समग्र

समाज का कर्तव्य है कि यदि वह स्वच्छता में रहता है, तो स्वच्छता रखे। उन्होंने सभी को स्वच्छता रखने की प्रेरणा दी।

महोदय, उन्होंने धारा 370 एवं 35(ए) हटाकर वाल्मीकि समाज को जीने का अधिकार दिया है। माननीय मोदी जी ने शोषण करने वालों के पंजों से छुड़ाकर पोषण करने का संकल्प लिया है। आज भारत में वाल्मीकि समुदाय में एक नई उमंग, एक नई रोशनी दिखाई दी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि 70 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन इन्होंने इनकी कभी कोई चिंता नहीं की। भारत के सच्चे सपूत माननीय मोदी जी ने दस वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, तो कॉंग्रेस ने 70 वर्षों में क्यों नहीं लिए थे? इस दुर्दशा की चिंता क्यों नहीं की? दुर्दशा में जीने के लिए वाल्मीकि समाज को क्यों मजबूर होना पड़ा? यदि वाल्मीकि समाज का त्याग और तप देखा जाए, तो वाल्मीकि समाज धर्म-परंपराओं को मानने वाला है और हमारी पूजा पद्धति इसका प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को नाम दिया। इससे पूरे भारत में वाल्मीकि समुदाय का मान बढ़ा है। महोदय, हमारे वर्ग में रोम-रोम में राम है।

"रोम रोम में राम बसे, सांसों में घनश्याम,
नेत्रों में काशी बसे, मन में चारों धाम।"

हम यह मानते हैं कि हर सदी में महामानव आते हैं। एक तप, त्याग, समर्पण के कारण इस धरती की दशा और दिशा सुधारते हैं। इन्होंने अमृत काल को कर्तव्य काल बनाया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि शरीर की रचना से चार वर्णों की रचना हुई है। यदि माना जाए, तो सिर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और पैर शूद्र हैं। माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने परसों यहाँ पर कहा कि यदि पैर में काँटा चुभता है, तो हाथ यह नहीं कहते कि पैर में काँटा लगा है, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर तुरंत पहुंचते हैं। इसी धारणा को चरितार्थ करते हुए, माननीय मोदी जी ने वाल्मीकि समाज की चिंता की है कि जो लोग जम्मू-कश्मीर में 70 दशक से नारकीय जीवन जी रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

महोदय, हमें 1947 में आजादी मिली और पहले प्रधान मंत्री जी उनके नेता बने। उनकी गलतियों को मोदी जी सुधार रहे हैं। चार पीढ़ियों ने जो भुगता है, उन्हें आज हमारे मोदी जी न्याय दे रहे हैं। मैं कहूँगी कि अब चौथी पीढ़ी के उनके कुंवर जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो यह भी एक दुर्भाग्य है। महोदय, वाल्मीकि समाज को अधिकारों से वंचित करने में 70 सालों में कॉंग्रेस ने अपनी निर्दयता का परिचय दिया है। यदि ये चाहते, तो जब ये 1957 में वहाँ पहुंचे थे, तब इन्हें वहाँ रहने, वहाँ वोट डालने का अधिकार मिलता, लेकिन आज तक इन्हें जम्मू-कश्मीर में रहने का अधिकार नहीं है। आप अस्थायी किरायेदार के रूप में रह सकते हैं। आप देखिए कि 1957 से सात दशक बीत चुके हैं और ये वहां रह रहे हैं। इनके साथ में ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया कि इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जब एक माँ अपने बच्चे को कोख से जन्म देती है, दूध पिलाकर समाज को समर्पित करती है तो वह समाज और राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है। हमारे यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनकी कॉंग्रेस सरकार ने कोई चिंता नहीं की और उन्हें उसी नरक में जीने के लिए मजबूर किया है। आज उसी का परिणाम है कि ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि

मोदी जी 400 पार हैं और आज इनकी दशा देखिए कि ये कोने में बैठे हुए हैं। वही दलित वर्ग, वही अनुसूचित जाति वर्ग, वही गरीब वर्ग, झोपड़ी में रहने वाला, जिसे पानी नहीं मिला, जिसे छत नहीं मिली, जिसे न्याय नहीं मिला, आज उन्होंने काँग्रेस को कहाँ बैठा दिया है! महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमेशा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया सीट पर बैठकर आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बात कही। इन्हें न सिर्फ पहचान दी, बल्कि सम्मान से योजनाओं का भी लाभ दिया और आर्थिक, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने के भी अवसर दिए। सफाई कर्मचारियों को बेहतर सफाई उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण में सहायता और बेहतर अवसर प्रदान किए।

उपसभापति महोदय, सरकार ने वर्ष 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और ज्यादातर सफाई कर्माचारियों से संबंधित छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाया है। इनका आंकड़ा 50 लाख पहुंच गया है। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहती हूं। मानवीय चेतना को साकार करने में आज माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि वे आज दलित और गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। महोदय, सफाई कर्मचारियों का योगदान आप जानते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। आप देख लीजिए कि कोरोना काल में सारे लोग घर में मास्क लगाकर किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सफाई कर्मचारी सुबह चार बजे से ही आपको सड़कें साफ करके देते थे। आप इनके त्याग और तप को देखिए।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि न हो मायूस, क्योंकि आ रही है फिर मोदी सरकार! 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, यह आप खुद बता रहे हैं।

"हुआ है वह सब जो दी थी मोदी जी ने गारंटी,
रामलला के चरणों में भी हमको माथा लगाना आ गया।"

...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं इस बिल का मन, वचन, कर्म और धर्म से समर्थन करती हूं। जय हिंद!

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात)**:** धन्यवाद, माननीय उपसभापति जी। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मंत्री मुंडा जी संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 लेकर आए हैं, इस बिल पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय उपसभापति जी, जम्मू-कश्मीर में रहने वाले, पहाड़ी विस्तार में रहने वाले पडारी, कोली, गद्दा ब्राह्मण और पहाड़ी एथेनिक ग्रुप, इन चार समुदायों को जम्मू-कश्मीर में रहने वाले जो मूल निवासी समुदाय हैं, उन समुदायों में सम्मिलित करने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। माननीय उपसभापति जी, मैं इस बिल के बारे में बोलने से पहले भारी पीड़ा से जम्मू-कश्मीर की बात रखना चाहती हूं। देश आजाद जरूर 1947 में हुआ, लेकिन सही मायने में जब

डा. बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, तब जम्मू-कश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइबल भाई-बहन आजाद हुए थे, सही मायने वे लाभार्थी बने थे। मगर आज मैं इस समय सदन में गर्व से कहूंगी कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइबल भाई-बहनों के लिए सूर्योदय हुआ। देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी इस सदन से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाकर वहां रहने वाले हमारे पिछड़े भाई-बहनों के लिए सूर्योदय लाए।

माननीय उपसभापति जी, इतना ही नहीं, वहाँ अब्दुल्ला-मुफ्ती का जो राज था, वह गरीबों के लिए, ट्राइब्स के लिए, पिछड़े समाज के लिए एक अभिशाप था, उसका अंत आ गया। हमारे मोदी जी अपने पुरुषार्थ से इन गरीबों के लिए, इस पिछड़े समाज के लिए अपने बल पर काम करने लगे। माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से इन कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने वर्षों से हमारे समाज को, हमारे ट्राइब समाज को 70-70 वर्ष तक इन लाभों से, आरक्षण से क्यों वंचित रखा? हमारे इस हिस्से में रहने वाले युवक-युवतियों को पाठशाला में भेजने के बजाय आपने गैर-कानूनी प्रवृत्तियों में धकेलने का काम क्यों किया, आतंकवादी प्रवृत्ति में धकेलने का काम क्यों किया और उनकी जिंदगी को नर्क का कारागर क्यों बना दिया?

माननीय उपसभापति जी, आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में बदलाव आ रहा है और हम आमूल परिवर्तन देख रहे हैं। एक समय जम्मू-कश्मीर स्वर्ग था, आज जम्मू-कश्मीर फिर से स्वर्ग बन कर उभर रहा है। हजारों की संख्या में आज यात्री वहाँ आ रहे हैं। हमारे ट्राइबल समुदाय के लिए हमारे मोदी जी ने वहाँ एकलव्य रेसिडेंसी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई की व्यवस्था की। वहां टूरिज्म क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आया है, होमस्टे बन रहा है और हमारे ट्राइबल युवक-युवतियाँ आज गाइड बन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर एक समग्र पहाड़ी इलाका है। वहाँ जन औषधि भी मिल रही है, वन औषधि भी मिल रही है और वन केन्द्र के माध्यम से बहुत सारी बिक्री करके भी वे अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं।

माननीय उपसभापति जी, हमारे कांग्रेस के सदस्य, नीरज डांगी जी अभी बात कर रहे थे कि इस सरकार ने शोषित समाज के लिए क्या किया, एससी समाज के लिए क्या किया, एसटी समाज के लिए क्या किया। वे हमारे पड़ोसी राज्य, राजस्थान से आते हैं। मैं उनके बगल में गुजरात में रहने वाली एक ट्राइब हूँ। मुझे मालूम है कि वर्षों तक कांग्रेस ने ट्राइब के लिए क्या किया। ट्राइब के लिए तो कांग्रेस ने डिपार्टमेंट भी अलग नहीं किया था, तो वह विकास की बात क्यों करे! हमारे देश के प्रधान मंत्री ने गुजरात का मुख्य मंत्री रहते हुए हमारे गुजरात में अम्बाजी से उमरगाम तक, जहाँ ट्राइब की आबादी एक करोड़ से ज्यादा है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना 15 करोड़ से शुरू की थी, आज वह सिलसिला एक करोड़ से ज्यादा बन कर समग्र देश में एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। माननीय उपसभापति जी, इतना ही नहीं, देश के प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी कोने-कोने में रहने वाली ट्राइब्स के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वे मैदान में रहें, चाहे वे पहाड़ में रहें, चाहे वे दुर्गम एरिया में रहें, चाहे वे जंगल में रहें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए वे काम कर रहे हैं।

माननीय उपसभापति जी, मैं एक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ कि मोदी जी ट्राइबल्स के लिए कितने समर्पित हैं। मैं यह एक बात करके अपनी बात समाप्त करूँगी। आज मैं 15 जनवरी, 2024 की घटना सदन में रखना चाहती हूँ। मोदी जी कितने समर्पित हैं, कितना लगाव रखते हैं,

उन वन बंधुओं के लिए, जो पिछड़ा समाज था, आदिम जाति थी। उन्होंने समग्र देश में जाँच की। 18 स्टेट्स और एक केन्द्र शासित प्रदेश में उस समुदाय की आबादी 1,09,20,057 है। उन 93 समुदायों की सूची बना कर खुद माननीय प्रधान मंत्री जी ने झारखंड के खूँटी ग्राम से उन सबके साथ संवाद किया। इतना ही नहीं, पीएम जनमन योजना के तहत 24 हजार करोड़ से 3 साल का प्लान बना कर इस पिछड़े समाज को अन्य समाज के समान लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, वह हमारे लिए एक आदर्श बन कर काम कर रहा है। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहती हूँ कि आप वाद-विवाद और टीका-टिप्पणी मत कीजिए। मोदी जी पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आइए, हम सब मिल कर इन समाजों का सम्मान करें। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करके मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री शंभू शरण पटेल जी।

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार)**:** उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। आज मैं जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आज इस बिल को सदन में पेश कर रहे देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानन्द राय जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जम्मू-कश्मीर में रह रहे पिछड़ों की हितों की रक्षा के लिए एवं स्थानीय निकायों में राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को राज्य सभा में प्रस्तुत किया है। इस बिल के आ जाने से जम्मू-कश्मीर में रह रहे लाखों पिछड़ों को स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन मिलेगा और वे उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पायेंगे।

महोदय, मैं बिहार जैसे एक पिछड़े प्रान्त से आता हूँ, प्रधान मंत्री जी के शब्दों में एक 'आकांक्षी प्रान्त' से आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जोकि अति पिछड़ों और पिछड़ों के नेता थे, उनको 'भारत रत्न' देने का कार्य किया है। उसके लिए इस सदन के माध्यम से, पूरे बिहारवासियों की ओर से, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने देश के पूर्व उपप्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी को भी 'भारत रत्न' दिया, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गये। इन 75 वर्षों में कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया। इन 60 वर्षों में उसने पिछड़ों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। जब 2014 में हमारे नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने नारा दिया कि 'देश के अन्तिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं हो जाता है, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं।' इसी कड़ी में उन्होंने जम्मू-कश्मीर से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक और केरल से लेकर कामाख्या तक, सभी स्टेट्स में एक समान विकास करने की अवधारणा को परिणत किया।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इस बात के प्रति संकल्पित है कि समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के विकास के बिना इस प्रगतिशील राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है।

महोदय, 2014 के पहले देश में जो सरकारें थीं, उनके राज में व्यापक भ्रष्टाचार था। नॉर्थ-ईस्ट से लेकर जम्मू-कश्मीर तक देश जल रहा था। जम्मू-कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंके जा रहे थे। जब 2014 में नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने - पहले हमारे जो नेता रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वे कहा करते थे कि "एक देश, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान - नहीं सहेगा हिन्दुस्तान," उन्होंने उनकी आकांक्षाओं के सहित 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाया। वहाँ से उसके हटने के बाद कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद वहाँ क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनके जो युवराज हैं - राहुल गांधी जी, जब अभी वे 'भारत जोड़ो यात्रा' में जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे, तो उस लाल चौक पर वे तभी भाषण कर पाए, जब वहाँ से धारा 370 हटायी गयी। क्या इससे पहले उनकी हिम्मत थी, कांग्रेस के किन्हीं नेताओं में हिम्मत थी कि वे जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पर जाकर अपनी स्पीच दे पायें? यह तभी संभव हो पाया, जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहाँ पत्थरबाज कम हुए और अलगाववादी या तो अपने बिल में घुस गए या जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके कारण वहाँ पर्यटन बढ़ा है। इसके बाद वहाँ के नौजवानों, दुकानदारों, होटलों और पर्यटन व्यवसाय को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है। इस तरह से लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और ये लोग पूछ रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ! धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जी20 जैसा आयोजन किया गया - यह हुआ धारा 370 हटने के बाद। धारा 370 हटने के बाद अमरनाथ यात्रियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई, दशकों बाद वहाँ के शारदा पीठ सरस्वती मंदिर में दीपक जलाया गया - यह तभी संभव हो पाया, जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया।

महोदय, पूर्व की काँग्रेस सरकार हमेशा से पिछड़ा और दलित विरोधी रही है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में लगभग 60 वर्षों तक काँग्रेस ने देश पर राज किया - शासन नहीं किया, बल्कि राज किया। चूँकि उनके एक परिवार का ही शासन चलता रहा, इसलिए हम लोग उसको राज ही कहेंगे, लेकिन उन्होंने ओबीसी समाज को कभी सही न्याय नहीं दिया। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। 1953 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के निर्देश पर पं. नेहरू जी ने 'काका कालेलकर आयोग' का गठन किया और यह कहा कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने दो वर्ष के बाद ही 1955 में अपनी रिपोर्ट उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री, पं. नेहरू जी को सौंप दी, लेकिन जितनी भी काँग्रेस की सरकारें आईं, उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। यह दर्शाता है कि आपकी मानसिकता पिछड़ा और दलित विरोधी रही है। देश की आधी आबादी पिछड़ी जातियों की है और उन पिछड़ी जातियों के लिए जो 'पिछड़ा वर्ग आयोग' था, उसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं था। जब नरेन्द्र मोदी जी सत्ता में आए, तब उन्होंने कहा कि मैं इस आयोग को संवैधानिक

दर्जा दूँगा। इसके बाद माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 'पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा दिया। अब पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के साथ भी न्याय हो पाएगा।

महोदय, 'पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा देने के बाद हमारी सरकार ने जस्टिस (रिटायर्ड) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 'रोहिणी आयोग' का भी गठन कर दिया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करेगा और आने वाले समय में अन्य पिछड़ा वर्ग में भी वर्गीकरण करने का कार्य होगा।

महोदय, काँग्रेस के लोग कहा करते हैं कि हमारी सरकार पिछड़ा विरोधी है। मैं जिस प्रांत से आता हूँ, इस देश में जब-जब पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने की बात आई है, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे नौकरियों में हो, उसमें हमारी सरकार सबसे आगे रही है। 1977 में जब कर्पूरी जी बिहार प्रांत के मुख्य मंत्री थे, उस समय भी जनता पार्टी के रूप में तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पं. कैलाशपति मिश्र जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। उसी समय कर्पूरी जी ने ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण दिया। इसके साथ ही वे ओबीसी और ईबीसी का वर्गीकरण तभी कर पाए, जब हमारी सरकार ने उनको सपोर्ट किया। जब 2005 में बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तब 2006 में हमारी सरकार ने वहाँ की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। जो पिछली सरकार थी, लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, वह अति पिछड़ों का सिर्फ शोषण करने का काम करती थी। उनको पंचफोरना बोलने का काम करती थी। उस पंचफोरन वाले समाज, चाहे वह नाई समाज हो, चाहे मल्लाह समाज हो, चाहे बिंद समाज हो, चाहे नोनिया समाज हो, चाहे बेलदार समाज हो, चाहे धानुक समाज हो, चाहे अमात समाज हो, चाहे केवट समाज हो - इन सभी समाज को जब 2006 के बाद वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिला, तब वे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, आदि बन पाए। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है और यह दिखाता है कि हमारी सरकार समावेशी विकास करती है तथा समाज के सभी धर्मों एवं सभी वर्गों के लिए परस्पर विकास की कामना करती है।

महोदय, 'जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024' आ जाने से जम्मू-कश्मीर में रह रहे ओबीसी समाज के लोगों को अब वार्ड मेम्बर, जिला परिषद का चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख और पंच बनने का मौका मिलेगा। राजनीतिक भागीदारी, जो कि गाँव से शुरू होती है, पंचायत से शुरू होती है, वार्ड से शुरू होती है, उसको अब वे शुरू कर पाएँगे। महोदय, बोलने के लिए बहुत कुछ है।

उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और मैं सरकार की उन उपलब्धियों को आपको बताना चाहता हूँ। अभी पूरे हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक विधायक ओबीसी समाज से आते हैं। अभी केन्द्र सरकार में जो 35 परसेंट मंत्री हैं, वे ओबीसी समाज से हैं, अभी सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी समाज से हैं। यही नहीं, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में भी ओबीसी समाज को 27 परसेंट के आरक्षण की व्यवस्था हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने की है। यही नहीं, ओबीसी समाज अपना व्यापार ठीक से कर पाए, इसके लिए उन्होंने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी जैसे बिज़नेस में भी उनको आरक्षण देने का काम किया है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी 'पीएम-विश्वकर्मा योजना' को लागू किया। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी देश के पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए कितने चिंतित हैं। अब बढ़ई समाज, विश्वकर्मा समाज, कुल्हड़ बनाने वाले लोगों का समाज और नाई समाज के लोग बिना किसी गारंटी के तीन लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब, प्रधान मंत्री जी का कहना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता न रहे और जो भी करना पड़े, उसके लिए प्रधान मंत्री जी हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं एक शेर कहना चाहूँगा:

"हज़ारों साल नर्गिस अपनी बे-नूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा-वर पैदा।"

महोदय, वर्ष 2014 से पहले लगभग 60-65 वर्षों तक ओबीसी समाज के लोग अपने अधिकार से वंचित थे। वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में एक मसीहा आए और अब वे जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में रह रहे ओबीसी समाज के लोगों को उनके अधिकार देने का कार्य कर रहे हैं।

महोदय, 'जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024' आ जाने से जम्मू-कश्मीर में रह रहे पिछड़े समाज के लोगों को उनके स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण मिलेगा और वे अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएँगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम्!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Nityanand Rai to reply to the portion of discussion pertaining to the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024. माननीय मंत्री जी, आपका जवाब।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, इस विशेष विधेयक पर हुई चर्चा में आज लगभग 19 लोगों ने भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर सब लोगों ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है, लेकिन यहाँ सामने बैठे हुए लोग अपने कन्फ्यूज़न के सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों, हम ठीक कह रहे हैं न? ...(**व्यवधान**)... यह पंचायती राजव्यवस्था और नगरपालिकाओं के चुनावों में ओबीसी को अधिकार देने वाला विधेयक है। ओबीसी को यह अधिकार देने में भी बार-बार बातों को डायवर्ट करके रखना, यह इस महत्वपूर्ण बिल पर उनके भाषणों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कहा गया है, 'Looking London, going Paris'. हम लोग देहात के रहने वाले लोग हैं।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री नित्यानन्द राय: इसका अर्थ होता है, देखना कहीं, और चलना कहीं। हो सकता है कि हम लोगों के देहात में कहीं-कहीं इसको दूसरे शब्द में कहा जाता हो। महोदय, ओबीसी के कितने

विरोधी लोग हैं, इसकी काफी चर्चा हुई है। जब मंडल कमीशन दोबारा बना और उसकी सिफारिशें यहां लायी गईं, उस समय विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के लोगों ने उसका काफी विरोध किया था। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पानी पी-पी कर विरोध किया था कि लागू नहीं हो। किसी तरह मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी और एक आयोग बना। हम उदाहरण के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ओबीसी को न्याय और अधिकार देने का काम किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आयोग बना - पहले पिछड़ा वर्ग आयोग एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था, उस ऑर्डर का क्या मतलब हो सकता है, उस आयोग के पास कितनी ताकत हो सकती है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। इसके पहले इसको संवैधानिक सपोर्ट नहीं था, इसके अधिकार और कामकाज की मर्यादा थी, वह कभी भी बदली जा सकती थी। एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर था, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से ही यह बदला भी जा सकता था, लेकिन जब आयोग को अधिकार मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिला, संवैधानिक स्टेटस मिलने के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते तथा उसके कामकाज में कोई interfere नहीं कर सकता है। इसकी बड़ी लम्बी कहानी है, क्या-क्या अधिकार मिले हैं, यह कहने की बात है। ओबीसी के लिए इस सरकार ने क्या किया है - पहली बार वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री जी सदन में आए और सेंट्रल हॉल के भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है। उन्होंने पिछड़ों के लिए अपने संकल्प को हमेशा कायम रखने का प्रयास ही नहीं किया है, बल्कि परिणाम के रूप में भी दिया है। मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय के 35 प्रतिशत से अधिक मंत्री बनाए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया। कई माननीय सदस्य बता रहे थे कि ओबीसी का कोटा वहां नहीं है, यदि है तो उस पर उनकी नियुक्ति नहीं होती है, उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने इसमें भी ओबीसी के लिए प्रावधान किया। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल्स के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। एक लाख रुपये तक की जिनकी आय है, आईआईटी में उन ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का प्रावधान किया गया है। नीट की परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के आरक्षण की व्यवस्था की है। महोदय, न सिर्फ नौकरियों में ही प्राथमिकता के आधार पर उनको मज़बूत किया गया है, बल्कि अन्य जगह पर भी मज़बूत किया गया है। आप देखिए कि पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी के आवंटन में भी ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण मिला है, जो ओबीसी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। महोदय, ओबीसी उद्यमियों के लिए Venture Capital Fund के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 'PM Young Achievers Scholarship Award' स्कीम के तहत छात्रों को वार्षिक 4 हज़ार से 1 लाख 25 हज़ार रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी वर्ग के लिए 2022-23 में दो लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से यह बिल जम्मू-कश्मीर के निकायों के लिए है। जम्मू-कश्मीर

सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में ओबीसी के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। खुद माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा और नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी लगातार जम्मू-कश्मीर के लिए जो काम करते हैं, अपने मार्गदर्शन में उन्होंने वहां के विकास को गति दी है, यह पहल सामूहिक रूप से केंद्रशासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महोदय, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर के शैक्षणिक संस्थानों में भी सीधी भर्तियां और प्रवेश आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि ओबीसी को रोजगार के अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों, दोनों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। वहां ओबीसी के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। वहां अन्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण और विकास के प्रति यह हमारी प्रतिबद्धता है। वहां जम्मू-कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक संपर्क अधिकारी की भी नियुक्ति की है। वह उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू-कश्मीर सलाहकार बोर्ड, जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास की सक्रिय रूप से देख-रेख की वकालत तो करता ही है, बोर्ड के सचिव जम्मू और कश्मीर में ओबीसी समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एससी और एसटी के लिए यह सरकार क्या करती है? पूरे देश के एससीज़ और एसटीज़ के लिए क्या किया गया है, यह सब जानते हैं, लेकिन यह बिल जम्मू-कश्मीर पर है, इसलिए मैं उसके विषय में कहना चाहता हूं कि एससी/एसटी की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों, सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। पहाड़ी समाज को भी चार प्रतिशत का आरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांवों के निवासियों को भी इसमें आरक्षण दिया गया है। महोदय, बहुत सारी बातें हो रही थीं कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? आप इस विषय को लाए हैं, अगर मैं इस पर कुछ न कहूं, तो आप सोचेंगे कि जो आप बोल रहे हैं, उसमें दम है। सर, जो ये बोल रहे हैं, उसमें जीरो प्रतिशत भी दम नहीं है और कहीं कोई सच्चाई नहीं है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की थोड़ी-सी झलक मैं यहां दिखाना चाहूंगा। आपने कम समय निर्धारित किया, तो उसी दायरे में मैं चाहूंगा कि बताऊं। धारा 370 हटने से इस राष्ट्रीय मूलधारा में कश्मीर तो जुड़ा ही जुड़ा है, उसके विकास को गति मिली ही है, लेकिन धारा 370, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए बाधा और कलंक थी, उसको भी मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। आज जम्मू-कश्मीर के भाई-बहन राष्ट्रीय मूलधारा से जुड़े हुए हैं। जब से धारा 370 समाप्त हुई है, तो वहां पर विकास, रक्षा, सामाजिक, आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। महोदय, वहां बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पावर जेनरेशन, जो 70 साल में सिर्फ 3,050 मेगावाट था, उसे हम पांच वर्षों में 5,000 मेगावाट बनाएंगे - पीछे जो प्रारंभ किया है और आगे आने वाले पांच सालों में 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कश्मीर में होगा, इसकी नींव रख दी गई है और इसका उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। हमारा लक्ष्य पांच वर्षों में 5,000 मेगावाट का है, उसको हम पूरा करेंगे। सिंचाई परियोजना, सड़क, रेल, हवाई यातायात का विकास, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन में प्रगति - इनके आंकड़े

बहुत लंबे हैं। सर, समय कम है। वहां आईटी, प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है।

महोदय, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था भी मजबूत की है। जब वहां पर पंचायती राज का चुनाव हुआ था, तो वहां पर 35 हजार प्रतिनिधियों ने पंचायती राज व्यवस्था को रिप्रेजेंट किया था। औद्योगिक विकास की बात कही जा रही थी। लोग कह रहे थे कि जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास होगा, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा इस प्रकार से दिया गया है कि वहां बहुत सारी पहलों के कारण उत्पादन बढ़ा है, पर्यटन भी बढ़ा है। महोदय, जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 6362 प्रस्ताव आए हैं और 90,182 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव पहुंचा है। एक सदस्य बोल रहे थे कि 2,000 करोड़ का भी नहीं हुआ और आप इतनी लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हैं! मैं बताना चाहूंगा कि उनके पास गलत आंकड़ा है, वहां ज़मीनी स्तर पर 5,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा के काम किये गए हैं, निवेश हुए हैं। इससे 4 लाख से भी ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष 2022 में भारत में निर्यात की रैंकिंग में यू.टीज़. में नम्बर 1 स्थान पर जम्मू-कश्मीर आया है। भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। वे घटनाओं का भी गलत आंकड़ा दे रहे थे, वे कह रहे थे कि वहां क्या हुआ, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को बहुत मज़बूत किया गया है। यही कारण है कि सुरक्षा के परिदृश्य में जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। वहां पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल अतीत की बात हो गई है। महोदय, आतंकी घटनाएं काफी कम हो गई हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच कुल 7,217 घटनाएं हुई थीं, लेकिन वर्ष 2014 से 2023 के बीच मात्र 2,224 घटनाएं हुईं, इन घटनाओं में करीब 69 प्रतिशत की कमी आई है। अगर हम उसको bifurcate करके देखें, तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेज़ के लोगों की कुल मृत्यु 2,829 हुई थीं, जो वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच में घट कर मात्र 913 रह गई हैं, इसमें 68 प्रतिशत की कमी आई है। हम यह नहीं मानते हैं, हम ज़ीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, घटनाओं को भी ज़ीरो करेंगे और आतंकवादियों को भी समाप्त करेंगे। तो घटनाओं में जो कमी आई है, जो सुधार हुए हैं, जो कठोर कार्रवाई की गई है, मैं यहां उसका परिणाम बता रहा हूं। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच 1,769 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच वह घटकर मात्र 339 रह गई है, इसमें करीब 81 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच 1,060 security personnel की मृत्यु हुई थी, जो वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच घटकर मात्र 574 रह गई है, इसमें करीब 46 प्रतिशत की कमी आई है।

महोदय, वहां stone pelting से नागरिकों की जो मृत्यु होती थी, वह संख्या वर्ष 2010 में करीब 112 थी, जो अब घटकर ज़ीरो हो गई है। वर्ष 2004 से वर्ष 2010 तक stone pelting से ज़ख्मी नागरिकों की संख्या 6,235 थी, वह भी घट कर अब ज़ीरो हो गई है, यानी इसमें 100 प्रतिशत की कमी आई है।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो विधेयक यहां लाया गया है, इसमें तीन प्रकार के सुधार की बात है।

4.00P.M.

जम्मू-कश्मीर में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में और नगर-निगम में जन प्रतिनिधियों के चुनाव में वहाँ पर अभी तक आरक्षण नहीं था, लेकिन आज इस प्रावधान से वह आरक्षण होगा। इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

महोदय, इसके अलावा इसमें संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है, लेकिन इस संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त को दिया जाएगा। महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा, जो व्यवस्था किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जम्मू-कश्मीर में ओबीसी के हित में यह जो बिल लाया गया है, उस बिल को यहाँ सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए पारित करें। मेरा सभी से इस बात के लिए निवेदन है।

महोदय, मोदी सरकार का संकल्प है कि हम ओबीसी को न्याय के साथ अधिकार दें और अधिकार के साथ उनका विकास भी करें। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश में गरीबी मिट रही है - क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स भी एक बड़ा वर्ग है, इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि विवेकानंद जी की एक भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी में भारत ऐसा भारत होगा, जिसमें कोई भूखा, कोई नंगा, कोई बेघर, कोई बेबस और कोई अशिक्षित नहीं होगा। विदेश यात्रा के दौरान विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि तुम तो उस देश के संन्यासी हो, जो देश भूखा है, जो देश नंगा है, जो देश बेबस है, जो देश अशिक्षित है, जिस देश के लोग बेघर हैं। उस समय उन्होंने 21वीं सदी की यह भविष्यवाणी की थी कि हमारी भारत विश्व गुरु बनी हुई है और हमारी भारत माँ की धरती पर, उसकी गोद में कोई बेबस नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा। ऐसी भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद जी के बचपन का नाम भी नरेंद्र था और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधान मंत्री, आध्यात्मिक पुरूष, यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम भी नरेन्द्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरे नरेन्द्र उसे पूरा कर रहे हैं। जरूरत है, तो सबको मिलकर इसके लिए काम करने की। भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो - इसी गुणगान से भारत गुंजायमान हो और हम इसमें अवयव बनें। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Virendra Kumar to reply the portion of discussion pertaining to the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024.

डा. वीरेंद्र कुमारः उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में बाल्मीकि समुदाय को शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया है। आज की चर्चा में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने इसमें काफी बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने विचार भी रखे। यह चर्चा राजमणि पटेल जी से प्रारंभ हुई थी। इसमें डा. कल्पना सैनी, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री आर. गिरिराजन, डा. अशोक कुमार मित्तल, डा. सस्मित पात्रा, श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, डा. जॉन ब्रिटास, श्री संदोष कुमार पी, श्री आदित्य प्रसाद, श्री नीरज डांगी, श्री जवाहर सरकार, श्री रायगा कृष्णैया, श्री ए. ए. रहीम, डा. मु. तंबी दुरै, श्री राकेश सिन्हा, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक, श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा और श्री शंभू शरण पटेल को मिलाकर लगभग 19 सदस्यों ने इस चर्चा में अपने विचार रखे हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे जा रहे थे, तब मैं उन्हें देख रहा था और कुछ सदस्यों की बातों को क्वोट भी करना चाहूंगा।

अभी हमारे साथी, माननीय गृह राज्य मंत्री, नित्यानन्द राय जी अपने बिल के संबंध में बात रख रहे थे, तब उन्होंने बिल के संबंध में काफी तथ्यात्मक जानकारी रखी। देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले नौ वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं, उनसे अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थितियों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में आया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच है – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, इसकी प्रतिध्वनि माननीय सदस्यों के उद्बोधन में निकलकर आई है। जितने भी सदस्यों ने वाल्मीकि समुदाय को समर्थन देने की बात कही, सभी की यही अंतरध्वनि निकल कर आई थी। धारा 370 के कारण और 'व' और 'ब' की मात्र वर्तनी के कारण, जम्मू-कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय को जम्मू-कश्मीर में वर्षों से शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया था। आज इस बिल के पास होने से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को न केवल राज्य सरकार की, बल्कि केंद्र सरकार की भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वाल्मीकि समुदाय को सम्मान देने के काम में देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का इलाहाबाद कुंभ का दृश्य याद आता है। जब इलाहाबाद के कुंभ में देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठे होने पर उस परिसर को साफ और स्वच्छ रखने में वहाँ के सफाईकर्मियों, वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं ने जो योगदान दिया था, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के पंतप्रधान जी ने हमारे सफाईकर्मियों को बिठाकर, जल के कलश से उनके पैर धोकर, उन्हें सम्मान देने का काम किया। मैं देख रहा था कि आदरणीय पंतप्रधान जी उनके पैर धो रहे थे और जिन सफाईकर्मियों के पैर धो रहे थे, टॉवल से उनके पैर पोछ भी रहे थे। जब पंतप्रधान जी उनके पैर धो रहे थे, तब जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु थे, जिनके पैर धोए जा रहे थे, उनकी आँखों से आश्चर्यजनक मित्रता के आंसू आ रहे थे और वे आंसू देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के हाथों पर गिर रहे थे। उन्हें यह बड़ा सपने जैसा लग रहा था। उनके द्वारा सफाई का जो काम किया जाता है, उस सफाई का काम करने वाले बंधुओं को भी इतना सम्मान देने का काम देश के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया! भारत मंडपम् के समय भी हमने यह दृश्य देखा कि भारत मंडपम् का निर्माण करने वाले श्रमवीरों का सम्मान करने का काम देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उन्हें

बिठाकर, स्वयं खड़े होकर, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके, उनका सम्मान करने का काम किया गया। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए प्रधान मंत्री जी के द्वारा जो सम्मान किया जा रहा था, यह उन श्रमवीरों के लिए भी किसी अनोखी दुनिया से, सपने की दुनिया से कम नहीं था।

सर, भारत के इस विकास की यात्रा में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, मेडिकल कॉलेजेज़ के निर्माण की बात हो, विश्वविद्यालयों की बात हो, आईआईटी-आईआईएम के भवन, उद्योग धंधों के कल-कारखानों को गगनचुंबी भवन बनाने की बात हो, चंद्रयान 3 में भारत की अभूतपूर्व सफलता की बात हो, जी20 की बैठक के दौरान विश्व पटल के सामने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में साबित होने की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सफाई से लेकर सुरक्षा तक, सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने परिश्रम, विश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्पों को सिद्धि की ओर ले जाने में अपना योगदान दिया है। महोदय, मैं सबसे पहले हमारे सम्माननीय सदस्य, डा. अशोक मित्तल का उल्लेख करना चाहता हूँ। अपनी बात रखना, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना और जो अच्छी बातें हैं, सरकार के द्वारा कोई अच्छा काम किया जा रहा है, उस अच्छे काम को भी appreciate करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर का उस समय का क्या दृश्य था, किस तरह के वातावरण से जम्मू-कश्मीर गुजर रहा था और आज जम्मू-कश्मीर में जो परिवर्तन आया है, उसके बारे में माननीय सदस्य, अशोक कुमार मित्तल जी के द्वारा बात रखी गई, यह लोकतंत्र की एक पहचान है। लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष दोनों अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब विपक्ष की ओर बैठे हुए व्यक्ति भी सरकार के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों को - वे श्रेष्ठ कार्य सरकार की पार्टी के लिए नहीं होते हैं, वे श्रेष्ठ कार्य समाज के लिए होते हैं, वे श्रेष्ठ कार्य राष्ट्र के लिए होते हैं और जब राष्ट्र के लिए और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्तियों को न्याय दिलाने की पहल सरकार के द्वारा की जाती है और श्रेष्ठ कार्यों को स्वीकार करने का काम जब डा. अशोक कुमार मित्तल सरीखे हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो हमारी काम करने की क्षमताओं को और भी ज्यादा ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा था कि हम दिल से इस बात का समर्थन करते हैं। मैं अशोक मित्तल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के हमारे बाल्मीकि समुदाय के उन बंधुओं की पीड़ा को समझा और सरकार के द्वारा यह जो संशोधन बिल लाया गया है, इस संशोधन बिल को समर्थन दिया है। हमारे डा. तंबी दुरै जी ने और कई और सदस्यों ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में बात कही। माननीय तंबी दुरै जी ने कर्णाटक की एक जाति के संबंध में उल्लेख किया। हमारे माननीय तंबी दुरै जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। वे लोक सभा में भी हमारे साथ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं और उनको सारी प्रक्रिया का ध्यान है कि इस संबंध में भारत सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आने पर वे आरजीआई के पास जाते हैं, आरजीआई जब उन पर सहमति दे देता है, तो वे आयोग के पास जाते हैं और वहां से आने के बाद फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन होने के बाद लोक सभा और राज्य सभा में पास होते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे जो वरिष्ठ सांसद हैं, वे सभी इस बात को जानते हैं कि सरकार की इस संबंध में एक प्रक्रिया होती है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर बाल्मीकि समुदाय लगभग 60 साल से भी ज्यादा समय से इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब हमें बाकी अन्य समुदायों की तरह समान अधिकार मिलेंगे। दलित वर्ग का जो बाल्मीकि समुदाय है, जिसे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन यहां पर जम्मू-कश्मीर में केवल 'ब' और 'व' का फर्क, वर्तनी का फर्क होने के कारण वे शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित थे। रामायण के रचयिता ऋषि बाल्मीकि को अपना मानने वाले, उनको अपना भगवान मानने वाले बाल्मीकि समुदाय के लोग कचरा उठाने का काम, गंदगी उठाने का काम वर्षों से कर रहे थे। हमारे राकेश सिन्हा जी ने उनकी पीड़ा को भावनात्मक रूप से यहां पर रखा कि कैसे उनको पंजाब से ले जाया गया। जब जम्मू-कश्मीर में आंदोलन, हड़ताल चल रही थी और वहां पर गंदगी के ढेर लग गए थे, तब पंजाब सरकार से जम्मू-कश्मीर की सरकार ने आग्रह किया, प्रस्ताव भेजा कि आप हमें कुछ सफाई कर्मी दीजिए। 272 हमारे सफाई कर्मी वहां गए और आज उनकी संख्या हज़ारों में हो गई। जब वे वहां पर गए थे, तब उनके साथ जो वायदा किया गया था, जो सपने दिखाए गए थे, वे सपने पूरे नहीं हुए। इस संशोधन बिल के पास होने से अब इस समुदाय के लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें समान अधिकार मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारे कई भाई बोल रहे थे कि जम्मू-कश्मीर में यह बिल पास होने से क्या लाभ मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी इस बात का ध्यान है, क्योंकि लंबे समय से आपने उस चीज़ को अनुभव किया है, लेकिन आपने साहस नहीं किया - स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से बाल्मीकि समाज के लोग वहां पर संपत्ति नहीं खरीद पाते थे - आपने 60 साल में कभी इस बात की चिंता नहीं की। इतना ही नहीं, उनके बच्चों को वहां की राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। बाल्मीकि समुदाय के छात्रों को वहां राज्य सरकार के मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्स के कॉलेज़ों में एडमिशन नहीं मिल पाता था। बाल्मीकि समुदाय के लोग वहां पर लोक सभा में तो वोट कर पाते थे, लेकिन विधान सभा के चुनाव में उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कई लोगों ने इस प्रश्न को उठाया कि धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर बहुत बड़ी संख्या में बदलाव आया। वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बढ़ीं और आज वहां पर जाने वाले जो पर्यटक हैं, उनमें हमारे देशी पर्यटकों के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी वहां जा रहे हैं। इसलिए चाहे वह डल झील की सफाई हो, चाहे वह निशात बाग की बात हो, चाहे वह शालीमार बाग की बात हो, इन सारे स्थलों को साफ-स्वच्छ रख कर उन्होंने जो मनोहारी दृश्य बनाए, इन सभी से पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई। हमारी बहन, सुमित्रा बाल्मीक जी बहुत सही बोल रही थीं कि जब हम सुबह सोकर नहीं उठते हैं, जब हम ठिठुरती ठंड में रजाई ओढ़ कर घर में पड़े रहते हैं या फिर तपती धूप में जब हम एसी कमरों में बने रहते हैं, जब हम बर्फों के बीच में बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते, ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौरान भी हमारे ये ही सफाईकर्मी भाई-बहन होते हैं, जो घरों से बाहर निकल कर जम्मू-कश्मीर में वहाँ पर सफाई का काम करते हैं। चाहे डल झील की बात हो, चाहे जम्मू में सफाई की बात हो, जम्मू-कश्मीर में सफाई में अपना योगदान देने में हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु कभी पीछे नहीं रहे। कई लोगों के द्वारा यह कहा

गया कि इससे क्या होगा, आपने उनके लिए क्या किया। आपने उनके लिए 60 साल में क्या किया? यह बिल पास होने के बाद आने वाले कल में उनको इतने सारे अधिकार, इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके बच्चे भी शिक्षित होकर, संस्कारित होकर अब गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगे, अच्छे स्थानों पर जा सकेंगे। उनको भी शासन की, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 1957-58 में, जैसा हमने बताया कि वहाँ के तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुरोध पर पंजाब से 272 परिवार वहाँ गए। 272 परिवारों ने वहाँ जाकर जम्मू-कश्मीर में सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दिया। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने अपने 24.8.2022 के पत्र के द्वारा अनुशंसा करके राज्य सरकार के वाल्मीकि समुदाय को क्रमांक 5 पर 'बाल्मीकि' के पर्याय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया था, जिसका आरजीआई ने भी समर्थन किया, आयोग ने भी समर्थन किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी समर्थन किया। इस पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, सबने अपनी अनापत्ति दर्ज की। इसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति हो गई। वाल्मीकि समुदाय के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल होने पर उनको सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्त होंगे और देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु भी अपना योगदान दे सकेंगे। इस बिल के पारित होने से हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं को बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहाँ पर प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिलेगा; लोक सभा, विधान सभा चुनाव में आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा; पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा; नगर पालिकाओं में आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा; प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उनको मिलेगा; नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति का लाभ उनको मिलेगा; उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ भी उनको मिलेगा; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से रियायती दरों पर लोन भी उनको मिलेगा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का भी लाभ उनको मिलेगा; हमारी जो 'नमस्ते' स्कीम है, जिसका नीरज डांगी जी ने उल्लेख किया था, राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई ईकोसिस्टम, उस योजना का भी उनको लाभ मिलेगा; अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि की जो वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है, उस वेंचर कैपिटल फंड योजना का भी लाभ हमारे जम्मू-कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं को आने वाले समय में मिलेगा। इतनी सारी योजनाओं के लाभ से वे 60 साल से भी ज्यादा लंबे समय से वंचित थे। अगर इसकी शुरुआत पहले की गई होती, तो जम्मू-कश्मीर के हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु आज विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन कभी उनके बारे में सोचा नहीं गया।

अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को केवल एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग किया गया। हमारे ए.ए. रहीम जी वोट बैंक की राजनीति के विषय में कह रहे थे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक विकास की बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए ही इतनी सारी योजनाओं की शुरुआत देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गई। देश के प्रधान मंत्री,

नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा डा. भीमराव अंबेडकर जी का पंचतीर्थ बनाने की पहल की गई, उनको सम्मान देने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में एक भी तीर्थ बनाने का काम क्यों नहीं किया गया? इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया कि डा. भीमराव अंबेडकर जी को इस रूप में सम्मान देने की पहल की जानी चाहिए। इनमें से पहला स्थान उनकी जन्मस्थली 'मऊ' है, जहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा स्थान लंदन स्थित 'शिक्षा भूमि' है। वहाँ पर जिस मकान में रह कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उस मकान को खरीद कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तीसरा स्थान नागपुर की 'दीक्षा भूमि' है। उस 'दीक्षा भूमि' में भी सरकार ने विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने का काम किया। चौथा स्थान दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड है, जहाँ पर डा. भीमराव अम्बेडकर जी रहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वहाँ जिस मकान में रह कर संविधान की कृतियों को रचनात्मक स्वरूप देने का काम किया था, वहाँ पर लगभग 100 करोड़ की लागत से भव्य 'डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक' बनाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पाँचवाँ स्थान 'चैत्य भूमि' है, जहाँ पर डा. भीमराव अम्बेडकर जी का अन्तिम संस्कार हुआ था। वहाँ पर इंदु मिल के साथ वर्षों से विवाद चल रहा था, लेकिन उस विवाद को सुलझाकर, उस भूमि का अधिग्रहण करके वहाँ पर कोई भव्य स्मारक बनाने की पहल की जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा गया। वहाँ पर 275 करोड़ रुपये की लागत से इंदु मिल वाली जगह पर डा. भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य स्मारक बनाया गया। इसके साथ ही साथ 15 जनपथ पर एक भव्य 'डा. अम्बेडकर अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र' लगभग 185 करोड़ रुपये की लागत से उनकी याद में बनाया गया। यह मैंने पंचतीर्थों के बारे में बात की।

महोदय, मेरा मूल निवास सागर का है। मैं चार बार वहाँ से सांसद रहा, अभी मैं टीकमगढ़ से आ रहा हूँ। पिछले दिनों आदरणीय प्रधान मंत्री जी जब सागर गए थे, तब उनके द्वारा वहाँ 100 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास जी का एक भव्य मन्दिर बनाने की पहल की गयी। 60 सालों में कभी नहीं सोचा गया कि संत रविदास जी को भी सम्मान देने के लिए इसी तरह की कोई पहल की जानी चाहिए। अभी हमारी बहन सुमित्रा बाल्मीक जी ने उल्लेख किया था। अयोध्या में महर्षि बाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने का साहस दिखाने की शुरुआत भी देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गयी।

महोदय, 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना' की बात हो, 'स्वनिधि' की बात हो, 'वेंचर कैपिटल फंड' की बात हो - 235 संस्थानों को 'वेंचर कैपिटल फंड' के माध्यम से, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बन्धुओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल आदरणीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गयी। हमारा जो 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम' है ...(**व्यवधान**)... शुक्ला जी, आप सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी आपकी बात धैर्य से सुन रहा था।

महोदय, जो 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम' है, उसमें कश्मीर के हमारे बाल्मीकि समुदाय के बन्धु 'नमस्ते योजना' से जुड़ कर मशीन से - जो आपके 60 साल में सिर पर कचरा उठाते थे, उससे बाहर निकल कर अब वे मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी। देश के बाल्मीकि समुदाय के बाकी बन्धुओं के समान जम्मू-कश्मीर के भी हमारे बाल्मीकि समुदाय के बन्धु 'नमस्ते योजना' के साथ जुड़ सकेंगे।

महोदय, हमारे कुछ बन्धुओं ने कुछ बिन्दु उठाये। 2013-14 में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो बजटीय आवंटन था, वह 6,065 करोड़ रुपये का था और यह बजटीय आवंटन 2023-24 में 12,847.2 करोड़ रुपये हो गया। यानी यह 6,782.2 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 111.82 परसेंट अधिक हुआ है। इसी तरह से अगर हम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए योजनाओं की बात करें, तो इसके लिए जो बजट 2013-14 में 4,665 करोड़ रुपये था, वह 2023-24 में बढ़ कर 10,095 करोड़ रुपये हो गया। यह 5,430 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाता है, यानी 2013-14 की तुलना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 146 परसेंट अधिक आवंटन किया गया।

महोदय, इसी तरह से अगर हम अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाओं की बात करें, तो 2013-14 में इसके लिए जो बजटीय आवंटन था, वह 2,506 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ा कर 7,183 करोड़ रुपये किया गया। यानी 2023-24 में इसमें 183.63 परसेंट की वृद्धि हुई। इसी तरह से पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को डीबीटी के मोड में लाया गया। अब पैसा सीधे छात्र के खाते में जाएगा। बजटीय आवंटन 1,500 करोड़ रुपये 2013-14 में था, इसको बढ़ा कर 6,359.14 करोड़ रुपये 2023-24 में किया गया। यानी हर क्षेत्र में बजटीय आवंटन में वृद्धि की गयी। अगर हम 'नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप' की बात करें, तो 2013-14 में यह मात्र 6 करोड़ रुपये थी और 2023-24 में बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गयी। 2013-14 के बाद अनुसूचित जाति के लिए एक 'शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' नामक एक नयी योजना जोड़ी गयी। 'शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' में बजटीय आवंटन 2023-24 में 111 करोड़ किया गया। यानी, अनुसूचित जाति के कल्याण, उत्थान और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों से जम्मू-कश्मीर के 'बाल्मीकि' समुदाय के बंधु, जो अब तक इनसे वंचित थे, आज उनको इन सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। चाहे वह छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, इन सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। जवाहर सरकार जी ने एक बात कही थी कि हमारे जो बंधु ईसाई और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने और शासन की योजनाओं का लाभ दिए जाने के बारे में सोचा जाए। जहां तक शासन की योजनाओं का लाभ देने की बात है, तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है, चाहे वह आवास की बात हो, चाहे 'उज्ज्वला योजना' की बात हो, चाहे 'सौभाग्य योजना' की बात हो। उसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने संबंधी जो राष्ट्रपति के आदेश हैं, उसमें अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म को अपनाता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अस्पृश्यता की परंपरा केवल हिन्दू धर्म में ही पाई जाती है, बाकी किसी अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती है। इसलिए 6.10.2022 की अधिसूचना के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो एक आयोग की नियुक्ति की गई है, वह इस मामले की गहनतम जाँच करेगा और 2 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

नीरज डांगी जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने atrocity की बात कही थी। न्यायालय के द्वारा जब-जब आरक्षण पर प्रतिकूल आदेश हुआ, उस पर हमारी सरकार का पक्ष सदैव इन वर्गों के हित में रहा है, वह चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय हो या

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का समय हो, सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के हितों को कहीं अनदेखा नहीं होने दिया। संविधान का 81वाँ, 82वाँ और 85वाँ संशोधन इसके उदाहरण हैं, जिनके द्वारा पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परिणामी वरिष्ठता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

नीरज डांगी जी ने manual scavenging की बात कही थी। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि manual scavenging की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और सरकार 'नमस्ते' स्कीम के माध्यम से उनको मशीनीगत व्यवस्था से जोड़ रही है, वह उनको इसके लिए प्रशिक्षण भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, ताकि देश के अन्य भागों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के हमारे 'बाल्मीकि' समुदाय के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया बैठ कर न बोलें।

डा. वीरेंद्र कुमारः महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर का 'बाल्मीकि' समुदाय, जो वर्षों से न्याय की आशा के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके हितों की रक्षा करने वाला यह बिल है और इसका अधिकांश सदस्यों ने समर्थन किया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको ध्वनिमत से, सर्वसम्मति के साथ पारित किया जाए, ताकि उनकी वर्षों की अपेक्षा पूरी हो सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Munda to reply to the portion of discussion pertaining to the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024.

श्री अर्जुन मुंडाः आदरणीय उपसभापति महोदय, आज आपने सदन में जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन विधेयकों पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए स्वीकृति दी और काफी माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से इस चर्चा में भाग लिया। जम्मू-कश्मीर की लोकल बॉडीज़, बैकवर्ड क्लासेज़, शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स - इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों विधेयकों को प्रस्तुत किया गया। हमारे सहयोगी गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द राय जी ने हम सबको उन प्रावधानों के बारे में और सदन में जो विषय उभर कर आए, उन सबके बारे में बताया। आदरणीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी, वीरेंद्र कुमार जी ने शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित विषय के बारे में बताया। उसी के साथ, हमारा यह जनजातीय समुदायों का एक विधेयक है, जिस पर हुई सामूहिक चर्चा में काफी सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

उपसभापति महोदय, ये तीनों विधेयक उस कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए हैं, जिस कश्मीर की पृष्ठभूमि कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि में रहने वाले लोगों को न्याय मिलने का एक नया स्वर इस विधेयक के माध्यम से नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस

समय सदन में चर्चा के लिए लाया गया है और वह जनता के लिए समर्पित हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपसभापति महोदय, जिस तरीके से अयोध्या की राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी तरीके से धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के तमाम नागरिकों को न्याय मिले, यह इन तीनों विधेयकों के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक)**:** आप बिल पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अर्जुन मुंडा: थोड़ा तो धीरज रखिए! हमने कब तक धीरज रखा है? हमने 60 साल आपका इंतजार किया और 75 साल में यहाँ पहुँच गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, चेयर को देखकर बोलें।

श्री अर्जुन मुंडा: उपसभापति महोदय, आज उन सारे समुदायों को संवैधानिक अधिकारों के साथ सही तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए इस विधेयक का प्रारूप सदन में है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि धारा 370 हटने के बाद यह कानून वहाँ पर लागू हो। इससे पहले जब संसद में देश के लिए ऐसे कानून बनाए जाते थे, तो जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे लोगों को स्मरण होगा कि तब उसमें यह लिखा जाता था कि यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, लेकिन अब इस देश में जब कानून बन रहा है, तो यह कानून कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होगा। इस तरह की व्यवस्था अब इस देश की बन गई है, इसलिए इस देश की जनता अपने आपको गौरवान्वित महसूस करती है। भारत का वह कश्मीर, भारत के उस अभिन्न हिस्से को लोगों ने जिस तरीके से बनाकर रखा था, उस भूमि को माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने धारा 370 और अनुच्छेद 35ए से मुक्त करते हुए देश भर के लोगों को गौरव हासिल कराया। आज दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत इन सारे विषयों को सुनिश्चित करते हुए समाधान के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए आज ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे नियम और विधेयक बनाए जा रहे हैं।

महोदय, अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषय पर मैं निश्चित रूप से यह बात कहूँगा कि आज भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वहाँ रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के गद्दी, बकरवाल और गुज्जर समुदाय के लोग हैं, उनके साथ-साथ इसमें यह पूरी आबादी जुड़ जाएगी। साथ ही साथ, उनके एजुकेशन और नौकरी में जो रिज़र्वेशन है, उस रिज़र्वेशन को बरकरार रखते हुए उन्हें अतिरिक्त रिज़र्वेशन के साथ न्याय दिया जाएगा। किसी के रिज़र्वेशन का नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कश्मीर का वह हिस्सा पूर्ण रूप से विकसित हो, वहां के लोगों को न्याय मिले। यह बात सामने आ चुकी है कि लम्बे अरसे तक वहां के लोगों को पोलिटिकल रिज़र्वेशन नहीं मिला। यह विधेयक पास होने के बाद पोलिटिकल रिज़र्वेशन सुनिश्चित होगा, वहां से जनजाति समाज के विधायक चुनकर आएंगे, सीट्स निर्धारित होंगी। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में हमने जो कानून बनाए, वे कानून, खासकर जनजातीय मंत्रालय के कानून, The Forest Rights Act (FRA), 2006 अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे और वहां के स्थानीय लोगों

को community forest rights मिलेंगे। इसके साथ-साथ individual rights भी मिलेंगे। हमारी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ वहां के रहने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 275(1) के तहत जो प्रेज़िडेंशियल बजटीय उपबंध है, उस उपबंध का लाभ अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेगा। आने वाली 12 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री जी जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खोले गए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 10 हज़ार नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। देश भर के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न योजनाओं का लाभ वहां की जनता को कैसे मिले, देश भर के जनजातीय समाज को सशक्त बनाने का जहां कार्य चल रहा है, वहीं स्वाभिमान के साथ यह समाज आगे बढ़े, देश का वह समाज जो आज पीछे की तरफ दिखाई देता है, वह अग्रिम पंक्ति में आए, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उदाहरण आपके सामने है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस देश की महिला राष्ट्रपति जनजातीय समाज से हैं। उसी तरह से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। यह सुनिश्चित करता है कि हम डेवलपमेंट के बारे में राशियों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में, देश भर में रहने वाले जनजातीय समाज के लिए, उनके गावों के विकास, उनके क्षेत्र के विकास, वहां की आधारभूत संरचना के निर्माण, वहां के विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण के साथ-साथ उनके सार्वभौमिक जीवन पद्धति, संस्कृति, परम्पराओं को अच्छे ढंग से किस तरह से वे आगे लेकर चलें - इसके लिए करते हैं। पिछले दिनों सदन में चर्चा भी हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने खासतौर से FRA का उल्लेख किया कि किस तरह से FRA यानी The Forest Rights Act, 2006 का implementation देश भर में उन सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के माध्यम से कैसे नामांकन हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे आंकड़ों में बताया गया कि आज जनजातीय समाज के बच्चों का नामांकन 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। यह पिछले 10 वर्षों के अंदर होने वाले परिवर्तन हम लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। यह जो विधेयक है, इसका उद्देश्य है कि जो मन, जो सूत्र और जो भाव देश ने व्यक्त किया है, उसके तहत प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए। उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू-कश्मीर आज मुक्त वातावरण में है। हमारे जितेन्द्र जी कश्यप गोत्र से हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी totemic आबादी देश की है, उन्हें यह नहीं पता कि गोत्र को कैसे बताया जाए, क्या कहा जाए। जब पूजा होती है, तो कश्यप गोत्र के माध्यम से ही उसकी पूजा कराई जाती है, तो उस कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर में, जनजाति, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस सभी के लिए न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ऐसे विधेयक को पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई हिस्सा, कोई समाज, कोई वर्ग पीछे न रहे। हम सब मिलकर 'सबका साथ, सबका विकास' को सुनिश्चित करें और 21वीं सदी के भारत को विकसित भारत के रूप में हम सब मिलकर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करते हुए इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः अर्जुन मुंडा जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब इन तीनों बिलों पर चर्चा के बाद और माननीय मंत्रियों के जवाब के बाद, I shall first put the motion regarding the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 (IX of 1989), the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 (XX of 2000) and Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000 (XXI of 2000), as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 19 were added to the Bill.

The Preamble, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री नित्यानन्द रायः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding the consideration of Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2024 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा. वीरेंद्र कुमारः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding the consideration of the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. Dr. Jitendra Singh to move a motion for consideration of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to move:

"That the Bill to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."